



अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

फिक्कल गाउँपालिका, सिन्धुली



आर्थिक वर्ष २०७६/७७



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
काठमाडौं

Serving the Nation and the People

दूरदृष्टि (Vision)

जनहितकालागि जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्द्धन गर्ने विश्वसनीय संस्था हुन प्रयत्नशील रहने ।

(We strive to be a credible institution in promoting accountability, transparency and integrity for the benefit of the people)

गन्तव्य (Mission)

सरोकारवालालाई सार्वजनिक कोषको दक्षतापूर्ण उपयोग सम्बन्धमा आश्वस्त पार्न स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने ।

(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders that the public funds are efficiently used)

मूल्य मान्यता (Core Values)

| | |
|--------------|-------------------|
| निष्ठा | (Integrity) |
| स्वतन्त्रता | (Independence) |
| व्यावसायिकता | (Professionalism) |
| पारदर्शिता | (Transparency) |
| जवाफदेहिता | (Accountability) |



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
Office of the Auditor General

(बागमती र गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महा-निर्देशनालय)

Phone: 4262381

4262415, 4262417

Fax: 977-1-4268309

977-1-4262798

Post Box: 13328

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

पत्र संख्या: २०७८/७९

च.नं २०९

मिति: २०७८।०५।०४

श्री प्रमुखज्यू,
फिक्कल गाउँपालिका,
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय,
सिन्धुली ।

विषय:- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम त्यस पालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोजिम यो प्रतिवेदन जारी गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोजिम कारबाहीको लागि अनुरोध छ ।

(इन्द्र प्रसाद आचार्य)

नायव महालेखापरीक्षक

महालेखापरीक्षकको भनाइ

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र औचित्यको आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हुने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थामोजिम स्थानीय तहको २०७६।७७ को आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी यो प्रतिवेदन जारी गरिएको छ ।



स्थानीय तहको लेखापरीक्षण नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, वित्तीय लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, स्थानीय तह लेखापरीक्षण निर्देशिका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण योजना र निकायसँग सम्बन्धित ऐन, नियमको आधारमा सम्पन्न गरिएको छ । लेखापरीक्षणको प्रमुख उद्देश्यहरूमा वित्तीय विवरणको शुद्धता, प्रचलित कानूनको पालना, बजेट तथा योजना तर्जुमा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नु रहेको छ । त्यसैगरी स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग सम्बन्धमा प्रचलित कानूनको पालना भए नभएको विश्लेषण गरी वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गरी सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुऱ्याउनु लेखापरीक्षणको उद्देश्य रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चात जारी गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिक्रियाका विषयहरू मिलान गरी कायम रहेका व्यहोरा समावेश गरेर राय सहितको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहमा रहेको सीमित स्रोत साधनको उपयोग गरी विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा मितव्ययीता, दक्षता र प्रभावकारीता हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । फलस्वरूप स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवर्द्धन हुने विश्वास लिइएको छ ।

लेखापरीक्षणबाट मूलतः आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण यथार्थपरक नरहेको, आन्तरिक आय ठेक्का व्यवस्थापनमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको, आय सङ्कलन न्यून रहेको, पर्याप्त आधार बेगर राजस्व छुट दिएको, बक्यौता असुलीमा प्रभावकारीता नआएको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, अबण्डा बजेट राखेको, खर्च पश्चात बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने गरेको, वर्षान्तमा बढी खर्च गरेको, खरिद कानून विपरीत सोझै खरिद गरेको, अत्यधिक प्रशासनिक खर्च गरेको, बचत अनुदान फिर्ता नगरेको, वितरणमुखी खर्चको बाहुल्यता रहेको जस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन् । त्यसैगरी विकास निर्माणतर्फ योजना प्राथमिकीकरण नगरेको, साना तथा टुक्रे आयोजनाको छनौट गरेको, जटिल प्रकृतिका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको, टोर्किबमोजिम जनसहभागिता नजुटेको, दीर्घकालीन विकासका लक्ष्य अनुरूप योजना र कार्यक्रम तर्जुमा नगरेको, दीर्घकालीन विकासको खाका तर्जुमा नभएको जस्ता समस्या रहेका छन् ।

स्थानीय तहको आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ आवश्यक अनुभवी र दक्ष जनशक्तिको कमी रहेको, कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवामा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श नलिएको, सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको, स्रोत, साधन र सम्पत्तिको दुरुस्त अभिलेख नरहेको, सञ्चालित योजना, कार्यक्रम, सेवा प्रवाहको अभिलेख नराखेको, बैंक हिसाब विवरण तयार गर्ने नगरेको, लेखाङ्कन तथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर रहेको छ । साथै आन्तरिक लेखापरीक्षण भरपर्दो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । स्थानीय तहमा लेखा समितिको गठन, कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फछ्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तर्जुमा हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । लेखापरीक्षणबाट औल्याएका व्यहोराहरू सुधार गरी गत विगतका बेरुजू उपर अपेक्षितरूपमा आवश्यक कारवाही भए गरेको समेत देखिएन ।

समय र जनशक्तिको सीमितताको बावजुद यथासम्भव स्थानीय तहको कार्यस्थलमा नै उपस्थित भई लेखापरीक्षण गरिएको थियो । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीय तहका प्रमुख सहितका पदाधिकारीहरूसँग छलफल समेत गरिएको थियो । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यहोराको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार र सेवा प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छु । स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सहयोग पुऱ्याउने स्थानीय तहका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू र लेखापरीक्षण तथा प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न यस कार्यालयका कर्मचारीहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

(टंकमणि शर्मा, दंगाल)

महालेखापरीक्षक



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
Office of the Auditor General

(बागमती र गण्डकी प्रदेशको लेखापरीक्षण-निर्देशनालय)



Phone: 4262381

4262415, 4262417

Fax: 977-1-4268309

977-1-4262798

Post Box: 13328

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

पत्र संख्या: २०७८/७९

च.नं.: २२०

श्री प्रमूखज्यू

फिक्कल गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सिन्धुली

विषय:- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

कैफियत सहितको राय :- हामीले फिक्कल गाउँपालिकाको २०७६।०७७ को वित्तिय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित आय—व्यय विवरण तथा लेखा टिप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौं ।

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार खण्डमा उल्लेख भएका विषयले पार्ने असर बाहेक, पेश भएको २०७७ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको २०७६।७७ को वित्तीय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विवरणले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनबमोजिम सारभूतरूपमा सही तथा यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दछ ।

कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार

१. पालिकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा प्रयोग गरी वित्तिय विवरण तयार गरेको भएतापति समग्र आर्थिक कारोबारलाई समेट्न सकेको छैन ।
२. लेखापरीक्षणबाट रु. १ करोड ५२ लाख ८४ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु ३५ लाख ४१ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु. २४ लाख ५५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. २६ लाख ५ हजार र पेस्की बाँकी रु. ६६ लाख ८३ हजार रहेको छ ।
३. लेखापरीक्षणमा देखिएका व्यहोराहरूका सम्बन्धमा मिति २०७७।१०।२६ मा जारी गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिक्रिया सहितका प्रमाण कागजातका आधारमा फछ्यौट भएका दफाहरू हटाई कायम व्यहोराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना २६ यसैसाथ संलग्न छ ।
४. आमदानी तथा खर्चको सेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पालिकाको पेस्की बाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुने कुनै जानकारी खुलाएको छैन ।

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसंग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गरिएको छ । वित्तीय विवरण तयार गर्ने स्थानीय तहसँग हामी स्वतन्त्र छौं । त्यसका लागि स्वीकृत आचार संहिता अनुसार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो राय व्यक्त गर्ने आधारका लागि पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा कार्यालय विश्वस्त छ ।

वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन र लेखाउत्तरदायी अधिकारीको जिम्मेवारी

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सही र यथार्थ हुने गरी वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा जालसाजी वा अन्य गलतिका कारण वित्तीय विवरण सारभूत रूपमा गलत आँकडा रहित स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने जिम्मेवारी पालिका व्यवस्थापनमा रहेको छ । गाउँकार्यकारिणी, गाउँपालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पालिकाको वित्तीय प्रतिवेदन प्रकृत्याको अनुगमनका लागि जिम्मेवार रहेका छन् ।

वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी

वित्तीय प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्य गलती समेतका कारण सारभूत रूपमा गलत आँकडारहित रहेको होस् भनी उचित आध्वस्तता प्राप्त गरी राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । लेखापरीक्षणमा उचित आध्वस्तताले सामान्य स्तरको आध्वस्ततासम्म प्रदान गरेको हुन्छ, तर लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गर्ने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पनि सबै प्रकारका जालसाजीजन्य वा अन्य गलती पत्ता लगाउन सक्ने निश्चितता भने हुदैन । वित्तीय विवरणका उपयोगकर्ताले सामान्यतया गर्ने आर्थिक निर्णयमा नै फरक पार्न सक्ने अवस्था देखिएका एउटै वा समग्रतामा हुने विशेष वा जालसाजीजन्य वा अन्य गलतीलाई सारभूत रूपमा गलत आँकडा मानिएको छ ।

(इन्द्र प्रसाद आचार्य)

नायब महालेखापरीक्षक

फिक्कल गाउँपालिका
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
२०७६।७७

निकायको परिचय – स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारीणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको संचालन गर्ने उद्देश्यले यस पालिकाको स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने कार्यमा सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्नु र स्थानीय सरकारका काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु गाउँपालिकाको उद्देश्य रहेको छ । यस पालिका अन्तर्गत ६ वडा, ३४ सभा सदस्य, १८५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल तथा १६ हजार ९६६ जनसंख्या रहेको छ ।

स्थानीय संचित कोष आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को स्थानीय संचित कोष आय व्यय हिसाबको संक्षिप्त अवस्था निम्न बमोजिम रहेको छ ।

| विवरण | टिप्पणी | यस वर्षको रु. | | | |
|--|---------|------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | बजेट | आफैले गरेको प्राप्ति/भुक्तानी | बस्तुगत / सोझै भुक्तानी | जम्मा |
| प्राप्ति (क+ख) | | ४५६९९१७३१ | ४०३६०४८५६.२२ | ०.०० | ४०३६०४८५६.२२ |
| क.प्राप्ति (संचितकोषमा आम्दानी बाँधिने) | | ३९३८६६०७८ | ३६९३०७१४४.२२ | ०.०० | ३६९३०७१४४.२२ |
| ११०० कर | ११ | ८८७४१००० | ६३१३६०८८.७२ | ०.०० | ६३१३६०८८.७२ |
| १३०० अनुदान | | २९७४६९००० | २९७४६९००० | ०.०० | २९७४६९००० |
| संघीय सरकार | १२ | २७५८११००० | २७५८११००० | ०.०० | २७५८११००० |
| प्रदेश सरकार | १२ | २१६५८००० | २१६५८००० | ०.०० | २१६५८००० |
| १४०० अन्य राजस्व | ११ | ७३५६०७८ | ८७०२०५५.५० | ०.०० | ८७०२०५५.५० |
| १५००० विविध प्राप्ति | | ३००००० | ० | ० | ० |
| ख. अन्य प्राप्ति | | ६३१२५६५३ | ३४२९७७१२ | ०.०० | ३४२९७७१२ |
| वितरण गर्न बाँकी राजस्व | | ० | ० | ० | ० |
| कोषहरू | | ६३१२५६५३ | ३३०१४५७१ | ०.०० | ३३०१४५७१ |
| धरौटी | | ०.०० | १२८३१४१ | ०.०० | १२८३१४१ |
| संघीय, प्रदेश सरकार वा अन्य कार्यक्रम | | ० | ० | ० | ० |
| भुक्तानी (ग+घ) | | ४६६४९१७३१ | ३६४५४६२१८.८९ | ०.०० | ३६४५४६२१८.८९ |
| ग. भुक्तानी (संचित कोषबाट) | | ४०३३६६०७८ | ३४००२६०४९.८९ | ०.०० | ३४००२६०४९.८९ |
| २१००० पारिश्रमिक/सुविधा | १८ | ४४९२०४०० | ३४०९१६०० | ०.०० | ३४०९१६०० |
| २२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग | १८ | ७२९२९१०० | ५९००६५४२ | ०.०० | ५९००६५४२ |
| २५००० सहायता | १८ | ३०१०२००० | २४७७१८८१ | ०.०० | २४७७१८८१ |
| २६००० अनुदान | १८ | ११०६५३००० | १०२४७७९६९ | ०.०० | १०२४७७९६९ |
| २७००० सामाजिक सुरक्षा | १८ | १७९५००० | १२९४९४७ | ०.०० | १२९४९४७ |
| २८००० अन्य खर्च | १८ | २८९८९२५ | १६४६७०० | ०.०० | १६४६७०० |
| ३१००० गैर वित्तीय सम्पत्ती/पूँजिगत खर्च | १८ | १४००६७६५३ | ११६७३६४१०.८९ | ०.०० | ११६७३६४१०.८९ |
| घ. अन्य भुक्तानी | | ६३१२५६५३ | २४५२०१६९ | ०.०० | २४५२०१६९ |
| कोषहरू | | ६३१२५६५३ | २३७६८५६९ | ०.०० | २३७६८५६९ |
| धरौटी | | ०.०० | ७५०००० | ०.०० | ७५०००० |
| संघीय, प्रदेश सरकार वा अन्य कार्यक्रम | | ० | ० | ० | ० |
| कट्टी रकम भुक्तानी । दाखिला गर्न बाँकी | | | १६०० | | १६०० |
| ङ. यो वर्षको बचत (न्युन) | | (९५०००००) | ३९०५८६३७.३३ | ०.०० | ३९०५८६३७.३३ |
| च. गत वर्षको जिम्मेवारी रकम (धरौटी समेत) | | | १३६४७८९७.१७ | ०.०० | १३६४७८९७.१७ |
| श्रेस्ता अनुसार वर्षान्तको बाकी रकम (ङ+च) | | (९५०००००) | ५२७०६४५४.५० | ०.०० | ५२७०६४५४.५० |
| बैंक तथा नगद बाँकी | २४ | | ५२७०६४५४.५० | ० | ५२७०६४५४.५० |

ख) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय भुक्तानी आदेश मार्फत सम्बन्धीतलाई सोझै भुक्तानी भएको तर गाउँपालिकाको संचितकोषमा आम्दानी नबाँधिएका कोरोबारहरु

| शीर्षक | वार्षिक बजेट | निकासा | खर्च | खर्च मध्ये पेस्की |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम | १००००००० | ९०६१०९१ | ९०६१०९१ | ० |
| स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम | १०५००००० | १०२००००० | १०२००००० | ४५०००० |
| सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम | ४२९४८००० | ३७२९५२०० | ३७२९५२०० | ० |
| राष्ट्रीय परिचयपत्र तथा पन्जिकरण चालु | १३०२००० | ७७९६६० | ७७९६६० | ० |
| राष्ट्रीय परिचयपत्र तथा पन्जिकरण पुजि | २०६००० | १६९९२७ | १६९९२७ | ० |
| गरिवसँग विश्वेश्वर | २४९५००० | २४४८३८७ | २४४८३८७ | ० |
| राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम | १०००० | ० | ० | ० |
| जम्मा रु. | ६७४६१००० | ५९९४६२६५ | ५९९४६२६५ | ४५०००० |

| दफा | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम |
|-----|---|------------|
| | उल्लेखित आर्थिक कारोबारको स्वीकृत समष्टीगत तथा ईकाइगत लेखापरीक्षण योजना, महालेखापरीक्षकको रणनीतिक योजना (२०७६-२०८०) कार्यालयबाट पेश गरिएको वार्षिक कार्यक्रम एवं प्रगति विवरण समेतका कागजात र विवरणहरु, व्यवस्थापन प्रतिनिधित्व पत्र तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई समेत आधारमानी लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३ र लेखापरीक्षणका अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्ड तथा मार्गदर्शनमा समेत नमूना छनौट गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न सकिने आधार तथा कार्यालयले नित्रयौल गरेको जोखिममा आधारित योजना तथा कार्यक्रमका आधारमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । सारभूत रुपमा उल्लेखनीय नदेखिएका व्यहोराहरुलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन । | |
| | असुली: लेखा परिक्षणको क्रममा रु.२१ हजार र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पश्चात रु २७ हजार असुल भई दाखिला भएको छ । | |
| | • वित्तीय विवरण विश्लेषण | |
| १. | वित्तीय विवरण – स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले प्रत्येक वर्षको साउन एक गतेदेखि आगामी वर्षको असार मसान्तसम्मको अवधिलाई आर्थिक वर्ष कायम गरी आय र व्ययको हिसाव राख्नुपर्दछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोकीय अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो आर्थिक कार्य प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा देहाय बमोजिम छन् । • वित्तीय प्रतिवेदनको अनुसूची २३ अनुसार कूल पेशकी बाँकी रु९९,५७,६६१/८९ रहेकोमा पालिकाले उपलब्ध गराएको म.ले.प.फा.न. २११ अनुसार रु९९,५७,६६१/८९ देखिएको छ । सो मध्ये रु ३,२५,०००/- फछ्यौटका बिल भरपाई पेश गरी बैंक नगदी किताबमा समेत फछ्यौट जनाई सकेपछि पनि म.ले.प.फा.न. २११ मा पेशकी बाँकी नै रहेको देखिन्छ । स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत रु.४,५०,०००/- पेशकी बाँकी रहेकोमा सुत्रमा समावेश नभएकोले वित्तीय प्रतिवेदन २७२ मा सो पेशकी समावेश भएको छैन । • सामाजिक सुरक्षा कोष तर्फको प्रथम चौमासिकको निकासा रकम रु १,२७,६४,८००/- सुत्रमार्फत इन्ट्री गरी वित्तीय प्रतिवेदनमा समावेश भएको छ भने बाँकी चौमासिकको रु २४५३०४००/- समावेश भएको छैन । • वित्तीय प्रतिवेदनमा गत वर्षका विभिन्न कोषहरुको बाँकी मौज्जात रहेको रकम गत वर्षको | |

| | | |
|----|--|--|
| | जिम्मेवारी अ.ल्या. महलमा नदेखाई एकमुष्ठ रुपमा यस वर्षकै आम्दानीमा जोडेर देखाइएको छ । त्यसैले तोकेबमोजिमका वित्तीय विवरणहरु तथा खाताहरु अद्यावधिक गरी आय र व्ययको वास्तविक स्थिति देखिने गरी लेखांकन गर्नुपर्दछ । | |
| २. | बैंक हिसाब मिलान नगरेको – स्थानीय तह सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिफारिशमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको ढाँचामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । सो बमोजिम मासिक रुपमा श्रेस्ता र बैंक खाताको हिसाब मिलान विवरण तयार गर्नुपर्नेमा नगरेकोले श्रेस्ताअनुसार (म.ले.प.फा.नं.२७२) रु ५,२७,०६,४५४/५० बाँकी रहेकोमा पालिकाले संचालन गरेका विभिन्न बैंक खाताको असार मसान्तको मौज्दात रु ८,३१,२१,७५०/९१ रहेकोले रु ३,०४,१५,२९६/४१ फरक पर्न गएको हुँदा बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार गरी एकिन गर्नुपर्ने देखिन्छ । | |
| ३. | आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरि लागु गर्नुपर्नेमा लागु गरेको पाईएन । यस सम्बन्धमा देखिएका अन्य व्यहोराहरु तपशिल बमोजिम रहेका छन । <ul style="list-style-type: none"> • स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभुत तथ्यांक संकलन, अभिलेखांकन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सो गरेको पाईएन । • पालिकाले कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पालिकाबाट यस वर्ष संचालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति तयार गरेको पाईएन । • कार्यालयको श्रेप्ता र बैंक विचको हिसाव फरक परे वा नपरेको सम्बन्धमा बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार नगरेको कारण हिसाब मिलान भए नभएको सम्बन्धमा यकिन गर्न सकिएन । • अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोजिम मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले सो बमोजिम मध्यकालीन खर्चको संरचना तयार गरेको पाईएन । • स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पाईएन । • स्थानिय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाको विश्लेषण गरी सम्भाव्य आयोजनाको बैंक खडा गरेको देखिएन । • दिगो विकास योजना (२०१५-३०) लाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गर्ने र मध्यकालिन लक्ष्यहरु तोकि मुल्याङ्कन गर्ने कार्य भएको देखिएन । • स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशः स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान र बजेट सीमा निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति रहने व्यवस्था गरेकोमा पालिकाले उक्त समिति गठन गरेको पाईएन । • पालिकाले जिन्सी सामानको एकीकृत विवरण तथा सहायक जिन्सी खाता अद्यावधिक नगरी वडा कार्यालय तथा विभिन्न संघ संस्थालाई वितरण गरेको पाईयो । • वडा कार्यालयमा रहेका जिन्सी सामान सहितको अभिलेख देखिने गरी पालिकाको मूल जिन्सी खाता अद्यावधिक गरेको पाईएन । • मुल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६ क मा ठेक्का सम्झौता र कर भुक्तानीको जानकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई नदिई आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्र दिएको तथा इ टीडिएस नगरेको पाइयो । • कुनै रकमको भुक्तानी दिँदा रित पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी रसिद विल भर्पाइहरुमा | |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>सिलसिलेवार नम्वर राखि कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेमा सो अनुसार गरेको पाईएन ।</p> <ul style="list-style-type: none"> • सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ र ८ मा खरिदको गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्नेमा तयार गरेको पाईएन । • ठेक्काहरूको विस्तृत विवरण देखिने गरी ठेक्का अभिलेख खाता र कन्टिन्जेन्सी खाता राखेको पाईएन । ठेक्का सम्झौता बमोजिम तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने तथा आयोजना अधुरा रहने गरेको पाइयो । • स्थानीय तहले निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराएकोमा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामानको गुणस्तर परीक्षण गरेको पाइएन । • संस्था दर्ता ऐन, २०३४ दफा ३ पालिकाबाट संचालन भएका विभिन्न योजना निर्माण कार्य गर्न सम्झौता गठन गरेका उपभोक्ता समिति ऐनको उक्त व्यवस्था अनुसार मान्यता प्राप्त हुने गरी दर्ता गरेको पाइएन । • आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २५ अनुसार भौतिक एवं वित्तीय स्थिति देखिने गरी वार्षिक कार्यक्रको लक्ष्य प्रगति विवरण तयार गरेको पाइएन । • सञ्चालित योजनाको सूचना पाटीमा आय-व्यय, अपेक्षित र वास्तविक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र कार्यसम्पादन लगायतका विषयमा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सहितको सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक परीक्षणलाई अनिवार्य गर्नु गराउनु पर्नेमा अधिकांशतः पालना भएको पाईएन । • स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार र संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सो बमोजिम सम्पत्तिको व्यवस्थित अभिलेख राखेको पाइएन । • वातावरणको संरक्षणको एकिकृत दिर्घकालीन योजना तयार गरेको पाइएन । शहरीकरण भैरहेका स्थानलाई मध्यनजर राख्दै फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल पहिचान एवं कार्ययोजना तयार गरेको पाईएन । • पालिकाको विकास निर्माण व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहका लागि प्राविधिकतर्फ १४ र प्रशासनिकतर्फ १७ समेत ३१ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा क्रमशः ४६ र २७ समेत ७३ पदपूर्ति भएकोले कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी रहेको पाईयो । • निजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा ७ ख २ बमोजिम तलवि प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलब भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्नेमा कार्यालयले तलवी प्रतिवेदन पारित नगरी खर्च लेखेको पाईयो । त्यस्तै स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानिय तह अन्तर्गतका कर्मचारीरुको वार्षिक तलवी प्रतिवेदन पारित नगरी खर्च लेखेको पाइयो । साथै शिक्षकहरूको तलब भत्ता खर्च लेख्दा विद्यालय शिक्षक किताबखानाबाट तलवी प्रतिवेदन पारित हुनुपर्नेमा सो बेगर तलब निकास गरेको पाइयो । तलवी प्रतिवेदन पारित बेगर तलब भुक्तानी गर्दा ग्रेड एकिन गर्ने अवस्था रहेन । • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७३।१२।२५ को परिपत्र अनुसार यस पालिकामा समाहित भएका साविकका गाँउ विकास समितिको नाममा रहेका पेशकी तथा वेरुजुको लगत तयार गरेको पाईएन । • स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन तथा सोको अधिनमा रही नियम निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा यस पालिकाले हालसम्म १६ ऐन, ४ नियमावली, १४ कार्यविधि ५ निर्देशिका समेत ३९ मात्र कानुन एवं कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । • सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली, २०६५ अनुसार नागरिक वडापत्रमा उल्लेखित सेवाहरूको कार्यान्वयन स्थिती अनुगमन गर्न अनुगमन संयन्त्र तय गरेको पाईएन । • निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम कर्मचारीहरूको कार्य विवरण बनाई लागु गरेको पाईएन । | |
|--|---|--|

| | <ul style="list-style-type: none"> सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७(९) मा उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुने निर्माण कार्यमा एकजभेटर, डोजर, लोडर जस्ता मेसिनरी उपकरण प्रयोग गर्न नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा अधिकांश सडक मर्मत तथा निर्माण कार्य मेसिनबाट गराएको पाईयो । पालिकाले राजश्व असुलीलाई व्यवस्थित बनाउन सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याई स्वचालित प्रणाली मार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा गरेको छैन । <p>तसर्थ पालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई तोकिए बमोजिम प्रभावकारी र विश्वशनीय बनाइ सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------------------------|-----------------|----------------|-------|------------------------------|----------------|--------------|-------|---------------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|----------------|----------------|-------|--------------|------------------------|------------------------|------------|-----------|--------|------|-------|-------|-------|--|--------------|-----|------|-------|-------|-------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> योजना तर्जुमा, बजेट तथा कार्यक्रम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४. | <p>बजेट पेश, पारित र अख्तियारी - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते भित्र पेश गर्ने र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र स्थानीय तहका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष श्री पार्वती सुनुवारले २०७६/०३/१० गते ४० करोड ३३ लाख ६६ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा २०७६/०३/२७ मा पारित भएको छ । यसैगरी स्थानीय तहका प्रमुखले २०७६/०३/३१ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको देखिन्छ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५. | <p>चौमासिक पूँजीगत खर्च - आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २३ बमोजिम स्वीकृत भएको कार्यक्रममा नियम २५ बमोजिम चौमासिक प्रगति विवरण बनाई पेश गर्नुपर्ने र चौमासिक कार्यलक्ष्य तथा कार्यक्रम बमोजिम कार्यसम्पादन सम्पन्न गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार चौमासिक पुँजीगत खर्चको स्थिति देहाय बमोजिम छ । वर्षान्तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुणस्तरमा असर पर्ने देखिएकोले नियममा भएको व्यवस्था अनुरूप आषाढमा खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">सि.नं.</th> <th rowspan="2">पूँजीगत खर्च शीर्षक</th> <th rowspan="2">कुल खर्च</th> <th colspan="3">चौमासिक खर्च (रु.हजारमा)</th> <th rowspan="2">आषाढ महिनाको मात्र खर्च</th> </tr> <tr> <th>प्रथम चौमासिक</th> <th>दोस्रो चौमासिक</th> <th>तेस्रो चौमासिक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>संघ</td> <td>९२००५</td> <td>२७७०</td> <td>१४८८१</td> <td>७४३५३</td> <td>५१२८३</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>प्रदेश</td> <td>१७९५६</td> <td>०</td> <td>९९४</td> <td>१६९६२</td> <td>७३५२</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>पालिका</td> <td>६७७३</td> <td>०</td> <td>१०३७</td> <td>५७३५</td> <td>५१८१</td> </tr> <tr> <td></td> <td>कूल खर्च:</td> <td>११६७३६</td> <td>२७७०</td> <td>१६९१२</td> <td>९७०५०</td> <td>६३८१६</td> </tr> <tr> <td></td> <td>खर्च प्रतिशत</td> <td>१००</td> <td>२.३७</td> <td>१४.४८</td> <td>८३.१५</td> <td>५४.६७</td> </tr> </tbody> </table> | सि.नं. | पूँजीगत खर्च शीर्षक | कुल खर्च | चौमासिक खर्च (रु.हजारमा) | | | आषाढ महिनाको मात्र खर्च | प्रथम चौमासिक | दोस्रो चौमासिक | तेस्रो चौमासिक | १ | संघ | ९२००५ | २७७० | १४८८१ | ७४३५३ | ५१२८३ | २ | प्रदेश | १७९५६ | ० | ९९४ | १६९६२ | ७३५२ | ३ | पालिका | ६७७३ | ० | १०३७ | ५७३५ | ५१८१ | | कूल खर्च: | ११६७३६ | २७७० | १६९१२ | ९७०५० | ६३८१६ | | खर्च प्रतिशत | १०० | २.३७ | १४.४८ | ८३.१५ | ५४.६७ | |
| सि.नं. | पूँजीगत खर्च शीर्षक | | | | कुल खर्च | चौमासिक खर्च (रु.हजारमा) | | | आषाढ महिनाको मात्र खर्च | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | प्रथम चौमासिक | दोस्रो चौमासिक | तेस्रो चौमासिक | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | संघ | ९२००५ | २७७० | १४८८१ | ७४३५३ | ५१२८३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | प्रदेश | १७९५६ | ० | ९९४ | १६९६२ | ७३५२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | पालिका | ६७७३ | ० | १०३७ | ५७३५ | ५१८१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | कूल खर्च: | ११६७३६ | २७७० | १६९१२ | ९७०५० | ६३८१६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | खर्च प्रतिशत | १०० | २.३७ | १४.४८ | ८३.१५ | ५४.६७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६. | <p>क्षेत्रगत बजेट र खर्च- स्थानीय तहको एकीकृत, समानुपातिक र दिगो विकासका क्षेत्रगत रूपमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस पालिकाको २०७६।७७ को क्षेत्रगत बजेट र खर्चको स्थिति देहाय अनुसार रहेको देखिन्छ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>मुख्य क्षेत्र</th> <th>वार्षिक बजेट</th> <th>खर्च रकम</th> <th>कुल खर्च मध्ये प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>आर्थिक विकास</td> <td>२,४९,४८,५००.००</td> <td>२,१७,४४,७१७.००</td> <td>६.४०</td> </tr> <tr> <td>सामाजिक क्षेत्र</td> <td>१७,१९,८१,०००.००</td> <td>१४,४९,२९,७४६.००</td> <td>४२.६२</td> </tr> <tr> <td>पूर्वाधार विकास क्षेत्र</td> <td>१०,५६,६७,६७८.००</td> <td>८,५२,६४,१८४.८९</td> <td>२५.०८</td> </tr> <tr> <td>वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन</td> <td>१,०३,४६,१७५.००</td> <td>८६,८७,५३०.००</td> <td>२.५५</td> </tr> <tr> <td>वितीय व्यवस्थापन र सुशासन</td> <td>१,६१,८०,७५०.००</td> <td>१,४०,३९,७६६.००</td> <td>४.१३</td> </tr> <tr> <td>कार्य सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च</td> <td>७,४२,४२,०७५.००</td> <td>६,५३,६०,१०६.००</td> <td>१९.२२</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td>४०,३३,६६,१७८.००</td> <td>३४,००,२६,०४९.८९</td> <td>१००</td> </tr> </tbody> </table> | मुख्य क्षेत्र | वार्षिक बजेट | खर्च रकम | कुल खर्च मध्ये प्रतिशत | आर्थिक विकास | २,४९,४८,५००.०० | २,१७,४४,७१७.०० | ६.४० | सामाजिक क्षेत्र | १७,१९,८१,०००.०० | १४,४९,२९,७४६.०० | ४२.६२ | पूर्वाधार विकास क्षेत्र | १०,५६,६७,६७८.०० | ८,५२,६४,१८४.८९ | २५.०८ | वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन | १,०३,४६,१७५.०० | ८६,८७,५३०.०० | २.५५ | वितीय व्यवस्थापन र सुशासन | १,६१,८०,७५०.०० | १,४०,३९,७६६.०० | ४.१३ | कार्य सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च | ७,४२,४२,०७५.०० | ६,५३,६०,१०६.०० | १९.२२ | जम्मा | ४०,३३,६६,१७८.०० | ३४,००,२६,०४९.८९ | १०० | | | | | | | | | | | | | | |
| मुख्य क्षेत्र | वार्षिक बजेट | खर्च रकम | कुल खर्च मध्ये प्रतिशत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| आर्थिक विकास | २,४९,४८,५००.०० | २,१७,४४,७१७.०० | ६.४० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सामाजिक क्षेत्र | १७,१९,८१,०००.०० | १४,४९,२९,७४६.०० | ४२.६२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पूर्वाधार विकास क्षेत्र | १०,५६,६७,६७८.०० | ८,५२,६४,१८४.८९ | २५.०८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन | १,०३,४६,१७५.०० | ८६,८७,५३०.०० | २.५५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| वितीय व्यवस्थापन र सुशासन | १,६१,८०,७५०.०० | १,४०,३९,७६६.०० | ४.१३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कार्य सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च | ७,४२,४२,०७५.०० | ६,५३,६०,१०६.०० | १९.२२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | ४०,३३,६६,१७८.०० | ३४,००,२६,०४९.८९ | १०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|--|--|
| | उल्लिखित विवरण अनुसार पालिकाले सामाजिक क्षेत्रमा कुल खर्चको ४२.६२ प्रतिशत र पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा २५.०८ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । | |
| ७. | खर्च विश्लेषण: पालिकाले यसवर्ष कुल आन्तरिक आयबाट रु ८७०२०५५.५० राजस्व बाँडफाँड र अनुदानबाट रु ३६०६०५०८८.७२ समेत रु ३६९३०७१४४.२२ आम्दानी भएकोमा चालु तर्फ रु २२३२८९६३९.०० र पूँजिगत तर्फ रु ११६७३६४१०.८९ समेत रु ३४००२६०४९.८९ खर्च भएको छ । खर्च मध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा २.५६ प्रतिशत रहेको छ । यसवर्ष पदाधिकारी सुबिधामा रु ५०४४७८२.०० खर्च भएको छ जुन आन्तरिक आयको ५८ प्रतिशत रहेको छ । पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ६६.२४ प्रतिशत चालु र ३३.७६ प्रतिशतमात्र पूँजिगत निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ । यसबाट पालिकाहरुले विकास निर्माण प्रयोजनमा न्युन खर्च गरेको प्रशासनिक प्रयोजनमा बढि खर्च भएको देखिन्छ । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अधिकरूपमा विकास निर्माण प्रयोजनमा परिचालन गरिनुपर्दछ । | |
| | संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन | |
| ८. | कर्मचारी करार - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिईने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर पालिकाले इन्जिनियर, सव इन्जिनियर, अनमी, कार्यालय सहयोगी लगायतका पदमा कर्मचारीहरु करारमा राखी रु.१,३०,४५,७८९ खर्च लेखेको छ । स्वीकृत दरबन्दी अनुसार मात्र पदपूर्ति हुनुपर्दछ । | |
| ९. | न्यायीक समिति - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्म अधिकार क्षेत्र तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ । समितिमा परेको उजुरीमध्ये मेलमिलाप प्रकृतिका आधारमा विवाद दर्ता भएको ३ महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने व्यवस्था छ । तर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरण अनुसार गतवर्ष फछ्यौट वा कारबाही किनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी नभएको र यो वर्ष कुल ३९ विवाद दर्ता भएकोमा २९ वटा मात्र फछ्यौट भई १० बाँकी देखिन्छ । न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई ऐनले तोकेको म्यादभित्र फछ्यौट वा कारबाही किनारा गरी टुङ्गो लगाउनुपर्दछ । | |
| | | |
| १०. | विविध खर्च - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस गाँउपालिकाले यो वर्ष विविधतर्फ मात्र रु.१३,४०,०००/- खर्च गरेको छ । यस्तो खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु पर्दछ । | |
| ११. | आर्थिक सहायता - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको देखिँदैन । पालिकाले विपत व्यवस्थापन कोष खडा गरी रु.८,८६,९७५/- बजेट विनियोजन गरी विभिन्न प्रयोजन जस्तै — दुर्घटनामा परी मृत्यु हुने को परिवारलाई काजकृया खर्च सहयोग बापत रु.२५,०००/-, विद्युत सट भई मृत्यु हुनेको परिवारलाई आर्थिक सहायताबापत रु.२५,०००/-, लगायतका विभिन्न व्यक्तिहरुलाई चालु बजेटबाट रु.७,०८,०८५/- आर्थिक सहायता वितरण गरेको पाइयो । यस्तो खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु पर्दछ । | |
| | • अनुदान प्राप्ति, वितरण र फिर्ता | |
| १२. | अनुदान फिर्ता — संघीय एवं प्रदेश सरकारको कानून एवं कार्यविधि बमोजिम ती निकायबाट स्थानीय तहमा प्राप्त हुने समपुरक वाहेकका अनुदान वर्षभरी खर्च नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले फिर्ता गर्न बाँकी रकम २०७७ असार मसान्तभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेमा देहायबमोजिम फिर्ता गरेको छ । | |

| अनुदान प्रदान गर्ने निकाय | अनुदानको प्रकार | प्राप्त रकम | खर्च रकम | बाँकी रकम |
|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|--|
| संघीय सरकार | शसर्त | १७,०९,११,००० | १४,६३,७४,९२७ | १,१८,८१,९६३ (मिति २०७७/०६/१६) र |
| | विशेष | २,००,००,००० | १,५५,४७,६७९ | १,७७,८८,६२० (मिति २०७७/०७/२७) मा फिर्ता गरेको छ । |
| | समपुरक | ८०,००,००० | ७३,१६,६११ | |
| प्रदेश सरकार | शसर्त | ११७२९००० | १,०६,१४,४३७ | ११,१४,५६३ (मिति २०७७/०६/१५ मा फिर्ता गरेको छ) |

१३. नाफामूलक संस्थालाई अनुदान - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सो व्यवस्था अनुसार नाफा नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउन मिल्ने देखिदैन । गाँउपालिकाले यो वर्ष सार्वजनिक रूपमा निशुल्क वा न्युन शुल्कमा सेवा उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता समेत नगरी देहायअनुसार नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका २ सहकारी को भवन निर्माणको लागि रु ५,००,०००/- अनुदान उपलब्ध गराएका छन् । उक्त सहकारीमा भएको लगानीबाट हुने प्रतिफल र त्यसबाट उपरोक्त बमोजिम सेवा प्रवाह हुने सुनिश्चित गरी मात्र लगानी गर्नुपर्दछ ।

| सि.नं. | अनुदान पाउने संस्थाको नाम | प्रयोजन | अनुदान रकम |
|--------|-----------------------------------|---------------------|------------------|
| १ | गौरीशंकर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | भवन निर्माणमा सहयोग | २०००००.०० |
| २ | त्रिवेणी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | भवन निर्माणमा सहयोग | ३०००००.०० |
| | जम्मा | | ५०००००.०० |

यस्तो खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु पर्दछ ।

१४. बायो इन्जिनियरिङ लागत: सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १० को उपनियम ७ मा निर्माण कार्यको लागत अनुमान अनुसूचीको ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । लागत अनुमान तयार गर्दा श्रमिकको खर्च निर्माण सामग्रीको खर्च यन्त्रिक उपकरणको भाडा तैल्य पदार्थ सहितका आधारमा आइटम दररेट निकाली सोही दररेटले निर्माण कार्यको आइटमलाई गणना गरि लागत अनुमान तयार पार्ने र सो लागत अनुमानमा ४ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी खर्च थप गरी कुल लागत अनुमान निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले सडक निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा निर्माण कार्य गराउँदा आइटमको मुल्यका आधारमा लागत निर्धारण गरी ४ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी २ प्रतिशत मर्मत सम्भार कोष र २ प्रतिशत वायोइन्जिनियरिङ थप गरी कुल लागत निर्धारण गरेको छ । उपभोक्ता समितिसँग निर्माण गराउँदा लागत अनुमान रकममा नै सम्झौता गरी कार्य गराउने गरेकोमा विल भुक्तानी दिँदा ४ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी, २ प्रतिशत मर्मत सम्भार कोष र २ प्रतिशत वायोइन्जिनियरिङ वापत कट्टा गरी भुक्तानी दिने गरेको छ । गाउँपालिकामा भएका कुनै पनि सडक निर्माण कार्यमा वायोइन्जिनियरिङको कार्य भएको देखिदैन । सवैजसो सडक निर्माण कार्यको विल भुक्तानीमा वायोइन्जिनियरिङ वापतको रकम कट्टा गरी राखे गरेको छ । सडक निर्माण कार्यका सवैजसो योजनामा राखिएको उक्त आइटम कुनै पनि योजनामा नगराएको हुदाँ सो आइटम आवश्यक हो वा होइन यकिन गरिनुपर्दछ ।

१५. अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च :पालिकाले फिक्कल महोत्सवका लागि गत वर्षको भुक्तानी बाँकी सहित शिर्षकमा रु. १५,००,०००/- बजेट विनियोजन गरी गत वर्षको भुक्तानी सहित गाडीभाडा, खाजा, बास

| | लगायतका विविध शिर्षकमा रु. १४,४३,२८७/- खर्च गरेको पाइयो । यस्ता अनुत्पादक खर्चमा मितव्ययिता कायम हुनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|--|--|----------------------------|-----------|----------------|--|--------------|--|-------------|--|----------|----------|
| | • उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १६. | सरकारी भवनहरु उपभोक्ता समितिबाट निर्माण - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७अनुसार उपभोक्ता समितिहरुलाई मेशिन, औजार उपकरणहरुको आवश्यक नपर्ने, श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही नियममा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिएका आयोजनाको मर्मत सम्भारको जिम्मा उपभोक्ताको हुने गरी हस्तान्तरण समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले आर.सि.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर सहितका उपभोक्ता समितिलाइ हस्तान्तरण नहुने सरकारी भवन निर्माण कार्य समेत उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने गरेको देखियो । हस्तान्तरण नहुने तथा जटिल प्रकृतिका काम समावेश भएका निर्माण कार्य उपभोक्ता बाट निर्माण गर्नु उपयुक्त देखिएन । यसका केही उदाहरणहरु यसप्रकार रहेका छन् : नियमावलीको ब्यबस्था अनुरूप कार्य गराउनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>गोभौनं./मिति</th> <th>उपभोक्ता समितिको नाम</th> <th>कामको विवरण</th> <th>भुक्तानी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>११।२०७६।०८।०३</td> <td rowspan="3">वडा नं ३ वडा कार्यालय भवन निर्माण उपभोक्ता समिति</td> <td rowspan="3">वडा नं ३ कार्यालय भवन निर्माण</td> <td rowspan="3">१७८५४४२/-</td> </tr> <tr> <td>२२३।२०७७।०३।१९</td> </tr> <tr> <td>३४०।२०७७।०३।३१</td> </tr> <tr> <td>१९०।२०७७।०३।०८</td> <td>वडा नं २ वडा कार्यालय भवन डि पि सी</td> <td>वडा कार्यालय भवन निर्माण</td> <td>१२७२०००/-</td> </tr> <tr> <td>१४६।२०७७।०२।२०</td> <td rowspan="2">सोल्पाठाना स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण उपभोक्ता समिति</td> <td rowspan="2">स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण</td> <td rowspan="2">१५५३६८२/-</td> </tr> <tr> <td>३३५।२०७७।०३।३१</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td></td> <td>४६.११,१२४/-</td> </tr> </tbody> </table> | गोभौनं./मिति | उपभोक्ता समितिको नाम | कामको विवरण | भुक्तानी रकम | ११।२०७६।०८।०३ | वडा नं ३ वडा कार्यालय भवन निर्माण उपभोक्ता समिति | वडा नं ३ कार्यालय भवन निर्माण | १७८५४४२/- | २२३।२०७७।०३।१९ | ३४०।२०७७।०३।३१ | १९०।२०७७।०३।०८ | वडा नं २ वडा कार्यालय भवन डि पि सी | वडा कार्यालय भवन निर्माण | १२७२०००/- | १४६।२०७७।०२।२० | सोल्पाठाना स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण उपभोक्ता समिति | स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण | १५५३६८२/- | ३३५।२०७७।०३।३१ | | जम्मा | | ४६.११,१२४/- | | | |
| गोभौनं./मिति | उपभोक्ता समितिको नाम | कामको विवरण | भुक्तानी रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११।२०७६।०८।०३ | वडा नं ३ वडा कार्यालय भवन निर्माण उपभोक्ता समिति | वडा नं ३ कार्यालय भवन निर्माण | १७८५४४२/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २२३।२०७७।०३।१९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३४०।२०७७।०३।३१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १९०।२०७७।०३।०८ | वडा नं २ वडा कार्यालय भवन डि पि सी | वडा कार्यालय भवन निर्माण | १२७२०००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४६।२०७७।०२।२० | सोल्पाठाना स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण उपभोक्ता समिति | स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण | १५५३६८२/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३३५।२०७७।०३।३१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | | ४६.११,१२४/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १७. | जनसहभागिता - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(४) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई निर्माण कार्यको बिल भुक्तानी दिँदा लागत अनुमानमा रहेको मुल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड कन्टिन्जेन्सी रकम र जनसहभागीताको अंश कट्टा गरेर मात्र भुक्तानी दिनु पर्ने व्यवस्था छ । जस अनुसार निम्न निर्माण कार्य गर्दा उपभोक्ता समिति मार्फत गराउँदा उपभोक्ता समिति र पालिकाले बेहार्ने अंश उल्लेख गरी सम्झौता भएको देखिन्छ । तर निर्माण कार्य सम्पन्न गर्दा घटी मूल्यांकन भएको अवस्थामा अनुपातिक कट्टी गरी भुक्तानी दिनुपर्नेमा सो गरेको नदेखिएको देहायअनुसारको रकम असूल हुनुपर्ने रु. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>गोभौनं./मिति</th> <th>उपभोक्ता समिति र काम</th> <th>सम्झौता रकम</th> <th>कार्य सम्पन्न रकम</th> <th>उपभोक्ताले व्यहोर्ने %</th> <th>घटी अनुपातिक कट्टी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१४६।२०७७।०२।२०</td> <td rowspan="2">सोल्पाठाना स्वास्थ्य चौकी उ स</td> <td rowspan="2">१९७१५८०/-</td> <td rowspan="2">१६०५२६९/-</td> <td rowspan="2">२.७०</td> <td rowspan="2">४१९४९/-</td> </tr> <tr> <td>३३५।२०७७।०३।२९</td> </tr> <tr> <td>३३८।२०७७।०३।३१</td> <td>महादेवडाँडा स्वास्थ्य चौकी निर्माण उ स</td> <td>२११६७२०/-</td> <td>२०९४६२६/-</td> <td>११.७०</td> <td>२०७५४/-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>६२,७०३/-</td> </tr> </tbody> </table> | गोभौनं./मिति | उपभोक्ता समिति र काम | सम्झौता रकम | कार्य सम्पन्न रकम | उपभोक्ताले व्यहोर्ने % | घटी अनुपातिक कट्टी रकम | १४६।२०७७।०२।२० | सोल्पाठाना स्वास्थ्य चौकी उ स | १९७१५८०/- | १६०५२६९/- | २.७० | ४१९४९/- | ३३५।२०७७।०३।२९ | ३३८।२०७७।०३।३१ | महादेवडाँडा स्वास्थ्य चौकी निर्माण उ स | २११६७२०/- | २०९४६२६/- | ११.७० | २०७५४/- | | जम्मा | | | | ६२,७०३/- | ६२७०३.०० |
| गोभौनं./मिति | उपभोक्ता समिति र काम | सम्झौता रकम | कार्य सम्पन्न रकम | उपभोक्ताले व्यहोर्ने % | घटी अनुपातिक कट्टी रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४६।२०७७।०२।२० | सोल्पाठाना स्वास्थ्य चौकी उ स | १९७१५८०/- | १६०५२६९/- | २.७० | ४१९४९/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३३५।२०७७।०३।२९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३३८।२०७७।०३।३१ | महादेवडाँडा स्वास्थ्य चौकी निर्माण उ स | २११६७२०/- | २०९४६२६/- | ११.७० | २०७५४/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | | | | ६२,७०३/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | राजस्वतर्फ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १८. | रसिद नियन्त्रण खाता: गाउँपालिकाले राजश्व असुलीमा प्रयोग हुने नगदी रसिदको दुरुपयोग हुन नदिनको लागि रसिद नियन्त्रण खाता प्रमाणित गरी राख्नुपर्दछ । यस्तो नियन्त्रण खातामा गत वर्ष | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-------|---|--|
| | <p>प्रयोग हुन नसकी फिर्ता आएका रसिद, यस वर्ष छापिएका रसिदहरूको सिरियल नम्बर सहित आम्दानी बाधुनपर्ने र ती रसिदहरू क—कस्लाई कति संख्यामा दिइएको हो सि. न. खुल्ने गरी नियन्त्रण खाताबाट घटाई छुट्टै रजिष्टरमा जनाई बुझाउनु पर्दछ । पालिकाले प्रयोग भएका रसिदहरूमध्ये के कति गत आ. व. बाट जिम्मेवारी सरी आएका थिए, यस वर्ष कति छपाई गरीए सो को अभिलेख राखी रसीद नियन्त्रण खाता व्यवस्थित गरेको छैन । वडा कार्यालयहरूमा पठाएका रसीद, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा संकलन तथा बिक्रीका लागि प्रयोग भएका रसीद लगायतका केही रसीदहरू रजिस्टरमा जनाइ दिने गरेको भएतापनि रसीद नियन्त्रण खाता व्यवस्थित नभएकोले सबै रसिद हरुको सबै आम्दानी दाखिला भएको छ भनि एकिन गर्न सकिने अवस्था भएन । त्यसैगरी नगदी रसिदबाट उठेको रकम दैनिक आम्दानी किताबमा प्रविष्टि गरी तोकिएको समयमा बैंक दाखिला गर्नुपर्नेमा सबै किसिमका आम्दानीको दैनिक आम्दानी किताबमा प्रविष्टि गरी अभिलेख समेत राखे गरेको छैन । यसबाट पालिकाले प्रयोगमा ल्याएका सबै नगदी रसिदको आम्दानी तोकिएको समयमै बैंक दाखिला भएको छ भन्ने एकिन गर्न सक्ने अवस्था भएन । पालिकाले यस सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी सबै आम्दानी बैंक दाखिला भएको सुनिश्चित गर्ने गरी अभिलेख व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।</p> | |
| १९. | <p>ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा, बालुवा ठेक्का: गाउँपालिकाबाट वन क्षेत्र बाहेक स्वीकृत IEE प्रतिवेदन बमोजिम गाउँपालिका भित्रका खोलाहरू र सुनकोशीको किनारबाट ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा एवं बालुवाको उत्खनन, संकलन तथा बिक्री र जिल्ला बाहिर निकासीको लागि ठेक्का नं १।२०७६।७७ मिति २०७६।०६।१५ मा सुचना प्रकाशन भएकोमा बोलपत्र फाराम बिक्री नै नभई कुनै पनि बोलपत्र पेश नभएको देखियो । कार्यालयले सुरुमा १११११११.११ घन फिट परिमाणको प्रति घनफिट रु.९ का दरले हुने रु. १,००,००,०००/- न्युनतम मुल्य राखी सुचना प्रकाशन गरेकोमा कुनै बोलपत्र नपरेपछि पुनः दोस्रो पटक परिमाण घटाई ५५५५५.५५ घनफिटका लागि न्युनतम रु.५०,००,०००/- (मु.अ. कर बाहेक) मुल्य कायम गरी मिति २०७६/०७/१८ मा सुचना प्रकाशन गरेकोमा सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने कार्की विल्डर्स, हेटौडा-११ सँग मिति २०७६/०८/ २५ मा रु.५०,०३,०००/- (मु.अ.कर सहित) को संझौता भएको थियो । सो सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा देहायबमोजिम छन् ।</p> | |
| १९.१. | <p>दोस्रो पटकको सुचनामा ५५,५५५.५५ घन फिटको रु.९ का दरले रु.५०,००,०००/- न्युनतम अंक कायम गरेको देखिन्छ । उक्त परिमाणको रु.९/- का दरले हिसाब गर्दा रु ५,००,०००/- मात्र हुने देखिदा सुचनामा नै गलत परिमाण उल्लेख भएको देखियो । संझौतामा भने परिमाण उल्लेख गरेको छैन । तर संझौता रकम रु ५०,०३,०००/- (मु.अ.कर समेत) उल्लेख गरेको छ ।</p> | |
| १९.२. | <p>पहिलो पटकको सुचनामा न्युनतम अंक रु १,००,००,०००/- (मु.अ.कर बाहेक) राखी सुचना प्रकाशन गर्दा कुनै पनि बोलपत्र नपर्नु र दोस्रो पटकको सुचनामा रु.५०,००,०००/- न्युनतम अंक कायम गर्दा ३ वटा बोलपत्र पेश भएकोमा क्रमसः गुण निर्माण सेवाले रु.५०,००,१००/-, धादिङ्ग कन्स्ट्रक्सनले रु.५०,००,२००/- र कार्की विल्डर्सले रु.५०,०३,०००/- कबोल गरी बोलपत्र पेश गरेको देखिदा प्रतिस्पर्धा न्युन देखिएको छ ।</p> | |
| १९.३. | <p>दोस्रो पटकको सुचना प्रकाशन गर्दा न्युनतम अंक रु ५०,००,०००/- (मु.अ.कर बाहेक) स्पष्ट उल्लेख भएको तथा कबोल अंकमा समेत मु.अ. कर बाहेक भनेको अवस्थामा सम्झौता गर्दाका बखत र कायदिश दिदाँ रु. ५०,०३,०००/- (मु.अ. समेत) भनि उल्लेख गरेको छ । सूचना अनुसार उक्त कबोल अंकमा थप १३ प्रतिशतले हुने मु.अ. कर रु. ६,५०,३९०/- समेतको सम्झौता हुनुपर्नेमा घटीको सम्झौता हुनु नियम सम्मत देखिएन । तर असुली गर्दा असुल भएको रकममा मु.अ. कर समेत जोडी असुल गरेको छ ।</p> | |
| १९.४. | <p>सम्झौताको बुदाँ नं ३ अनुसार ठेकेदारले पहिलो किस्ता वापत कबोल अंकको २५ प्रतिशत ठेक्का</p> | |

| | | |
|-------|---|------------|
| | <p>सम्झौता भएको १५ दिनभित्र, ४० प्रतिशत माघ मसान्त सम्म र ३५ प्रतिशत जेठ मसान्त सम्म बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी सोही सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार अन्तिम किस्ता रकम बुझाउने समयवधि सम्ममा रकम नबुझाएमा बैकबाट यस कार्यालयको नाममा जारी गरीएको कार्यसम्पादन जमानतबाट सम्झौता अनुसारको ठेक्का रकम असुल गरीनेछ भन्ने उल्लेख भए पनि यस कार्यालयको नाममा सिद्दार्थ बैकबाट जारी गरीएको रु. ५०,०३,०००/- को बैक जमानत बाट तोकिएको समयमा पालिकाले असुल गरेको छैन । ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको समयमा रकम दाखिला नगरे जरिवाना समेत असुल गर्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएको नभए पनि सम्झौताको बुदाँ नं. १० मा यस सम्झौतामा उल्लेख नभएका कुरा प्रचलित कानून अनुसार हुने उल्लेख भएकोमा कुनै जरिवाना लगाएको छैन ।</p> | |
| १९.५. | <p>ठेकेदारले सम्झौतामा तोकिए बमोजिम कुनै रकम दाखिला नगरी २०७७/०२/११ को मिति राखि मिति २०७६/१२/११ गतेबाट लकडाउन सुरु भएको कारण मालसामान ढुवानी बन्द भई कर उठाउन नसकेकोले २०७६।१२।१० सम्म कर उठेवापतको रकम तिर्न सकिने तर २०७६।१२।११ गतेदेखिको लकडाउनका कारण गाउँपालिकालाई कर तिर्न नसकिने भई लकडाउन अवधिको कर दस्तुर मिनाहा गरीदिनुहुन भनि निवेदन दिएको देखिन्छ । उक्त निवेदन कार्यालयमा दर्ता भएको छैन । ठेकेदारको उक्त निवेदन उपर यस गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७७।०३।०९ मा वसेको बैठकले ठेकेदारबाट माग भए बमोजिम लकडाउन अवधिभर कुनै प्रकारको क्रियाकलाप संचालित अवस्था नरहेको कारण ६ महिनाको लागि कवोल गरेको जम्मा अंक रु. ५०,०३,०००।०० (मू.अ. कर बाहेक) को रकममा ५०.६७ प्रतिशत छुट रकम रु. २५,३४,६०७।०० गरी बाँकी रहेको रकम रु. २४,६८,३९३।०० गाउँपालिकामा जम्मा गर्ने र छुट दिएको रकम समर्थनका लागि गाउँसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको र मिति २०७७।०३।२६ मा वसेको गाउँसभाले समर्थन गरेको देखियो । लकडाउन सुरु नहुन्जेल ठेकेदारले कति परिमाणमा सामान संकलन, विक्रि तथा निकासी गरेको हो, सो यकिन नगरी एकमुष्ट रूपमा ५०.६७ प्रतिशतले छुट दिने गरी गाउँ कार्यपालिकाबाट निर्णय हुनु उचित देखिदैन । गाउँकार्यपालिकाको उक्त निर्णय पछि पनि ठेकेदारले यस आ.व. भित्र कुनै रकम दाखिला नगरी मिति २०७७।०४।०५ मा रु. ७ लाख गाउँपालिकाको खातामा जम्मा गरेको छ । गाउँकार्यपालिकाले निर्णय गरे बमोजिम असुल गर्नुपर्ने २४,६८,३९३।०० मा १३ प्रतिशत ले हुने रु. ३,२०,८९१।०० समेतले हुने रु. २१,४७,५०२।०० र उक्त ठेकेदारको नामको गत आ.व. को बेरुजु रु. ३९,८२९।०० समेत जोडी हुने रु. २८,२९,९१३।०० मध्ये ठेकेदारले दाखिला गरेको ७ लाख घटाई बाँकी रहने २१,२९,९१३।०० बैक जमानत बाट असुल गरी मिति २०७७।०५।१४ मा मात्र पालिकाको खातामा जम्मा भएको देखियो । सम्झौताअनुसार लक डाउन भन्दा पहिले प्राप्त हुनुपर्ने प्रथम किस्तावापत २५ प्रतिशतले हुने रु.१२,५०,७५०/- र दोस्रो किस्तावापत ४० प्रतिशत माघ मसान्त भित्र प्राप्त हुनुपर्ने रु.२०,०९,२००/- समेत रु. ३२,५९,९५०/- तथा तेस्रो किस्ताको बाँकी रकम रु.१७,५९,०५०/- मा ५०.६७ प्रतिशतले छुट पछिको रु.८,६३,९७३/- समेत रु. ४९,९५,७४३/- प्राप्त हुनुपर्ने देखिन्छ । सो रकममा पनि घटी हुने गरी ठेकेदारलाई छुट दिन मिल्ने देखिदैन । तसर्थ ठेकेदारबाट प्राप्त हुनुपर्ने रु.४९,९५,७४३/- मा कार्यालयले बैक जमानतबाट असुल गरेको रु.२४,६८,३९३/- घटाइ बाँकी हुने रु. १६,४७,३५०/- असुल गरी प्रदेश आर्थिक ऐन २०७६ को दफा ९(५) बमोजिम बाँडफाँट समेत हुनुपर्ने रु.</p> | १६४७३५०.०० |
| १९.६. | <p>ठेकेदारबाट उपरोक्त अनुसार असुल हुन बाँकी रु.१६,४७,३५०/- को मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ अनुसार १३ प्रतिशतले हुने रु. २,१४,९५६/- असुल गरी सम्बन्धित संघीय राजस्व शीर्षकमा दाखिला हुनुपर्ने रु.</p> | २१४९५६.०० |

| | | |
|-------|---|-----------|
| २०. | अमानतबाट कार्य: मिति २०७६।०३।०२ गते गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको स्थानीय तह स्तरीय अनुगमन समितिको बैठकको निर्णयले यस गाउँपालिकाको वडा नं.५ झगरेवासीमा रहेको वासिङ प्लाण्टमा तथा वडा नं. २ नवलपुरमा घाट गद्दी (संकलन) रहेको गिट्टी बालुवा प्रदेश आर्थिक ऐन बमोजिम विक्रि वापत प्रति घनफिट रु. ६ का दरले कार्यालयका कर्मचारी मार्फत रकम संकलन गर्न गाउँकार्यपालिकालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरे बमोजिम ठेक्का नहुन्जेल अमानत वाट रकम संकलन भएको पाईयो । सो सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा देहाय बमोजिम छन् । | |
| २०.१. | अमानतबाट रकम उठाउँदा प्रयोग गरीने रसिदमा परिमाण र दर उल्लेख नगरी प्रति ट्रिफर रु. १५७५, प्रति ट्याक्टर रु. ३०० र प्रति ट्रक / ट्रिफर रु. २३६० तथा केहीमा प्रति ट्रिफर र. १७०० समेतका दरले रकम संकलन गरेको छ । यसरी परिमाण र दर स्पष्ट उल्लेख नगरी ति साधनहरूमा कति परिमाणको सामान लोड भएको हो र कति दरले संकलन गरेको हो स्पष्ट हुने अवस्था भएन । यस सम्बन्धमा पालिकाले छानविन गरी कम रकम संकलन भएको भए असुल गर्नेपर्ने देखिन्छ । | |
| २०.२. | प्राप्त नगदी रसिद, टिपोट विवरण एवम् सोधपुछ र छलफल अनुसार गिट्टी बालुवा वापत अमानत बाट प्रति घनफिट रु. ६ का दरले १,४४,८१० घनफिटको रु. ८,६८,८६०/- असुल भएको देखिन्छ । तर उक्त रकममा मुल्य अभिवृद्धी कर असुल गरेको नदेखिएकोले १३ प्रतिशतले हुने मु.अ. कर रु. १,१२,९५२/- असुल गरी संघीय राजश्व शीर्षक ३३३१७ मा दाखिला गर्नुपर्ने रु. | ११२९५२.० |
| २०.३. | गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७६।०३।१० गतेको बैठकले घाटगद्दी (संकलन) गरेको ५ नं. वडा झगरे वासिङ प्लाण्ट खण्ड र २ नं. वडा नवलपुर खण्डको गिट्टी बालुवा निकासी दस्तुर लिनका लागि १ जना ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गरेको र प्राप्त नगदी रसिद र टिपोट विवरण अनुसार प्रति घनफिट रु. ६ का दरले १,४४,८१० घनफिटको रु. ८,६८,८६०/- असुल गरेको देखिन्छ । प्रदेश आर्थिक ऐन २०७६ को दफा ९(२) तथा अनुसुचि-५ अनुसार ढुङ्गा, गिट्टी आदिको संकलनमा प्रति घनफिट रु.९ का दरले शुल्क असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा रु. ६ का दरले मात्र असुल गरेको पाईयो। घाटगद्दी गरीराखेको भनिएको गिट्टी बालुवा कसले संकलन गरी घाटगद्दी गरेको हो सो खुल्न नसकेको र उक्त संकलनमा लाग्ने शुल्क पनि उठाएको नदेखिएकोले उठाउन छुटेको १,४४,८१० घनफिटको रु. ३ का दरले हुने रु. ४,३४,४३०/- र सो मा १३ प्रतिशत ले हुने मु.अ. कर रु. ५६,४७६/-समेत रु. ४,९०,९०६/-असुल गरी सम्बन्धित (प्रदेश बाँडफाँट समेत गरी) राजश्व शीर्षकमा दाखिला हुनुपर्ने रु. | ४९०९०६.०० |
| २०.४. | प्रदेश आर्थिक ऐन को दफा ९(५) अनुसार ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा आदिबाट संकलित करको चालिस प्रतिशत रकम प्रदेश संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले यस वर्ष अमानतबाट उठाएको रु. ८,६८,८६०/- को ४० प्रतिशतले हुने रु. ३,४७,५४४/- प्रदेश संचित कोष दाखिला गर्नुपर्नेमा गरेको नपाईएकोले वाडैफाँट गरी दाखिला गर्नुपर्ने रु. | ३४७५४४.०० |
| २१. | एम्बुलेन्स आम्दानी: गाउँपालिकाबाट संचालित एम्बुलेन्स सेवाको विभिन्न व्यक्तिले उपभोग गरेवापत गाउँपालिकाले नगदी सरिसको प्रयोग गरी आम्दानी गर्ने गरेको पाईयो। यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा देहाय बमोजिम छन् । | |
| २१.१. | पालिकाबाट प्राप्त नगदी रसिद विवरण अनुसार एम्बुलेन्स चालक श्री चेत प्रसाद काफ्लेलाई यस वर्ष र.नं. १८०१ देखि र.नं. १८५० सम्म १ प्याड, र.नं. ३००१ देखि र.नं. ३१०० सम्म २ प्याड तथा गत वर्षको चालक संगै रहेको र.न. ३५६ देखि ४०० सम्मको १ प्याड मध्ये र.नं. ३०५१ देखि र.नं. ३१०० सम्मको रसिद र सो बाट उठेको आम्दानी पालिकामा बुझाएको छैन । उक्त रसिद प्रयोग भए नभएको सम्बन्धमा पालिकाले छानविन गरी उठेको रकम दाखिला गराउनु पर्दछ । वाँकी रसिद मध्येबाट जम्मा रु. ८,९८,७६६/- आम्दानी प्राप्त भएकोमा यस आ.व. मा विभिन्न मितिमा रु. ७,३२,३४०/- र मिति २०७७।०४।११ मा ७९,००८/- समेत | |

| | रु. ८,११,३४८/- गाउँपालिकाको खातामा जम्मा भएको भौचर प्राप्त भएको छ भने रु. ८७,४१८/-दाखिला भएको देखिएन। तसर्थ दाखिला गर्न बाँकी रकमका सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २८ बमोजिम जरिवाना समेत गणना गरी असुर गर्नुपर्ने रु. | ८७४१८.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-----------------------------|-------------|---------------------|---|----------------|------------|-------|---|--------------------|------------|------|---|-----------------|------------|------|---|--------------------|------------|-------|---|----------------------------|------------|-------|---|-----------------------------|------------|-------|---|-----------------------------|------------|------|---|-------------|------------|-------|---|------------------------------|------------|-------|----|-----------------------|------------|-------|----|---------------|------------|------|----|-------------|------------|-------|----|-------------------------------------|------------|-------|----|---------------------------------------|------------|-------|--|
| २१.२. | एम्बुलेन्स चालक श्री पूर्ण वहादुर पुलामी ले मिति २०७७।०३।२० मा बुझिलिएको र.नं. २९०१ देखि २९५० सम्मको रसिदको आम्दानी यस आ.व. प्राप्त भएको देखिएन । यस सम्बन्धमा पालिकाबाट छानविन गरी उठेको रकम नियमानुसार दाखिला गराउनुपर्ने देखिन्छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २२. | जे.सि.वी. / व्याक्होलोडर प्रयोग तथा आम्दानी: गाउँपालिकामा रहेको जे.सि.वी. गाउँपालिका भित्रका विभिन्न सार्वजनिक काम, व्यक्ति तथा संस्थाका काममा प्रयोग भएको देखियो । यस सम्बन्धमा देखिएका थप व्यहोरा देहाय बमोजिम छन । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २२.१. | गाउँपालिकाबाट प्राप्त जे.सी.वी. सञ्चालन लग सिट अनुसार यस वर्ष रु.४१५०९३०/- बराबरको काम भएको देखिन्छ सो मध्ये रु.२६६११८०/- सार्वजनिक काममा प्रयोग भएको, रु.५४८६९०/- नगद प्राप्त भएको, रु.३३८६८०/- उठ्न बाँकी देखिएको र रु.५५२३८०/- को लेखा शाखाले भुक्तानी गर्नु पर्ने विलबाट कट्टी गरी भुक्तानी गरेको उल्लेख छ ।सार्वजनिक काममा रु.२६६११८०/- बराबर प्रयोग भएको भनि विवरण प्राप्त भए पनि गाउँ कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी सभाबाट अनुमोदन गरेको देखिएन । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २२.२. | लगसिट विवरणमा रु.५४८६९०/- प्राप्त भएको जनाएता पनि जेसिवीका चालक श्री विश्वराज थुलुडले बुझिलिएको र.नं. ०५१ देखि र नं. १०० सम्मको रसिद प्याडबाट संकलित रु. ४,८२,७६०/- र गाउँपालिका कार्यालयबाट नै विभिन्न रसिद प्रयोग गरी संकलित रु. ९५,३९०/- - समेत रु. ५,७८,१५०/- आम्दानी भएको देखिन्छ ।उक्त रकम विभिन्न मितिमा रु. २,३८,९०६/- बैक दाखिला गरेको देखियो । तर बाँकी रु. ३,३९,२४४/- दाखिला गरेको प्रमाण पेस भएको देखिएन । तसर्थ दाखिला भएको भए प्रमाण पेस गर्नुपर्ने अन्यथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम जरिवाना समेत गणना गरी असुल हुनुपर्ने रु. | ३३९२४४.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २२.३. | जे.सी.वी. सञ्चालन लगसिट अनुसार देहाय बमोजिमका व्यक्ति तथा संस्थाहरुले पालिकाको जे.सी.वी. प्रयोग गरे वापतको रकम उठ्न बाँकी देखिएकोले उक्त रकम लगत अध्यावधिक गरी नियमानुसार असुल गर्नु पर्ने रु. | ३८८६८०.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं</th> <th>जे.सी.वी. प्रयोगकर्ताको नाम</th> <th>प्रयोग मिति</th> <th>असुल गर्नुपर्ने रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>कृष्णहरि मिश्र</td> <td>२०७६/१०/०७</td> <td>१०८१०</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>हिरा प्रसाद पाहाडी</td> <td>२०७६/१०/२७</td> <td>४१४०</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>घन श्याम पाहाडी</td> <td>२०७६/१०/२७</td> <td>५९८०</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>राम प्रसाद भण्डारी</td> <td>२०७६/११/१८</td> <td>१४९५०</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>झगरे फिक्कल सडक मर्मत उ.स.</td> <td>२०७६/११/१९</td> <td>४०२५०</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>वर पिपल मन्दिर निर्माण उ.स.</td> <td>२०७६/११/२२</td> <td>१८४००</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>वर पिपल मन्दिर निर्माण उ.स.</td> <td>२०७६/११/२२</td> <td>३४५०</td> </tr> <tr> <td>८</td> <td>फिक्कल होटल</td> <td>२०७६/११/२४</td> <td>१२८८०</td> </tr> <tr> <td>९</td> <td>वान्द्रे तटबन्ध निर्माण उ.स.</td> <td>२०७७/०१/२५</td> <td>२५३००</td> </tr> <tr> <td>१०</td> <td>सोखु कुलो सिँचाई उ.स.</td> <td>२०७७/०२/०१</td> <td>१०३५०</td> </tr> <tr> <td>११</td> <td>सञ्जिव कार्की</td> <td>२०७७/०२/०९</td> <td>३९१०</td> </tr> <tr> <td>१२</td> <td>श्याम तामाङ</td> <td>२०७७/०२/१०</td> <td>१३५७०</td> </tr> <tr> <td>१३</td> <td>४ नं वडा कार्यालय, भवन निर्माण उ.स.</td> <td>२०७७/०३/१३</td> <td>४६०००</td> </tr> <tr> <td>१४</td> <td>४ नं वडा कार्यालय देखि ठुली वन विधालय</td> <td>२०७७/०३/१४</td> <td>२३९२०</td> </tr> </tbody> </table> | सि.नं | जे.सी.वी. प्रयोगकर्ताको नाम | प्रयोग मिति | असुल गर्नुपर्ने रकम | १ | कृष्णहरि मिश्र | २०७६/१०/०७ | १०८१० | २ | हिरा प्रसाद पाहाडी | २०७६/१०/२७ | ४१४० | ३ | घन श्याम पाहाडी | २०७६/१०/२७ | ५९८० | ४ | राम प्रसाद भण्डारी | २०७६/११/१८ | १४९५० | ५ | झगरे फिक्कल सडक मर्मत उ.स. | २०७६/११/१९ | ४०२५० | ६ | वर पिपल मन्दिर निर्माण उ.स. | २०७६/११/२२ | १८४०० | ७ | वर पिपल मन्दिर निर्माण उ.स. | २०७६/११/२२ | ३४५० | ८ | फिक्कल होटल | २०७६/११/२४ | १२८८० | ९ | वान्द्रे तटबन्ध निर्माण उ.स. | २०७७/०१/२५ | २५३०० | १० | सोखु कुलो सिँचाई उ.स. | २०७७/०२/०१ | १०३५० | ११ | सञ्जिव कार्की | २०७७/०२/०९ | ३९१० | १२ | श्याम तामाङ | २०७७/०२/१० | १३५७० | १३ | ४ नं वडा कार्यालय, भवन निर्माण उ.स. | २०७७/०३/१३ | ४६००० | १४ | ४ नं वडा कार्यालय देखि ठुली वन विधालय | २०७७/०३/१४ | २३९२० | |
| सि.नं | जे.सी.वी. प्रयोगकर्ताको नाम | प्रयोग मिति | असुल गर्नुपर्ने रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | कृष्णहरि मिश्र | २०७६/१०/०७ | १०८१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | हिरा प्रसाद पाहाडी | २०७६/१०/२७ | ४१४० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | घन श्याम पाहाडी | २०७६/१०/२७ | ५९८० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | राम प्रसाद भण्डारी | २०७६/११/१८ | १४९५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | झगरे फिक्कल सडक मर्मत उ.स. | २०७६/११/१९ | ४०२५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | वर पिपल मन्दिर निर्माण उ.स. | २०७६/११/२२ | १८४०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | वर पिपल मन्दिर निर्माण उ.स. | २०७६/११/२२ | ३४५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८ | फिक्कल होटल | २०७६/११/२४ | १२८८० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९ | वान्द्रे तटबन्ध निर्माण उ.स. | २०७७/०१/२५ | २५३०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १० | सोखु कुलो सिँचाई उ.स. | २०७७/०२/०१ | १०३५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११ | सञ्जिव कार्की | २०७७/०२/०९ | ३९१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १२ | श्याम तामाङ | २०७७/०२/१० | १३५७० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १३ | ४ नं वडा कार्यालय, भवन निर्माण उ.स. | २०७७/०३/१३ | ४६००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४ | ४ नं वडा कार्यालय देखि ठुली वन विधालय | २०७७/०३/१४ | २३९२० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--------|-------------|--------|------------------|
| | भवन पहिरो जाली उ.स. | | | | | |
| १५ | सोल्पाथाना सडक मर्मत उ.स. | २०७७/०३/२० | | ८५७९० | | |
| १६ | चाल्ने खोला सोल्पा ठाना सडक मर्मत उ.स. | २०७७/०३/२५ | | ७८०० | | |
| १७ | नखुलेको | नखुलेको | | ६११८० | | |
| | जम्मा रु. | | | ३,८८,६८०.०० | | |
| गाउँपालिका (पूँजिगत) | | | | | | |
| २३. | <p>सम्झौता विपरीत भुक्तानी: कुनै पनि रकमको भुक्तानी गर्दा प्रचलित कानून एंव सम्झौता अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्दछ । पालिकाले यस गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण सहितको वस्तुस्थिति आउने गाउँपार्श्वचित्र (भिलेज प्रोफाइल) तयार गर्ने कार्यका लागि सामुहिक सरोकार समाज नेपाल, सिन्धुलीको प्रस्ताव छनौट गरी उक्त कार्य मिति २०७७।०२।३० भित्र सम्पन्न गर्ने गरी मिति २०७६।०८।२५ मा रु. ११,०५,७००/- को सम्झौता भएको छ। सम्झौताको बुदा नं. ८ (क) मा सम्झौता भई कार्य आरम्भ गरेपश्चात ३० प्रतिशत वा रु. ३,३०,०००/- पेस्की रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ भने बुदा नं. ८ (ख) मा बाँकी रकम काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेस गरेपश्चात भुक्तानी गरीने उल्लेख छ । पालिकाले सम्झौता अनुसार मिति २०७६।१०।२४ मा पेस्की स्वरुप रु. ३,३०,०००/- उपलब्ध गराएकोमा तोकिएको काम सम्पन्न नगरी सम्झौता विपरीत भौ.नं. २९०, मिति २०७७।०३।३० मा पहिलेको पेस्की फछ्यौट समेत रु. ७,०५,८००/- भुक्तानी गरेको छ । पालिकाले मिति २०७७।०४।२९ मा २०७७ कार्तिक मसान्त सम्मका लागि म्याद थप गरेको भएता पनि हालसम्म उक्त कार्य सम्पन्न गरेको छैन। यसरी सम्झौता विपरीत भुक्तानी गर्नु नियम सम्मत नदेखिएको रु.</p> | | | ७०५८००.०० | | |
| २४. | <p>वडा नं. २ कार्यालय भवन निर्माण: समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को नियम ९(२) मा समपुरक अनुदान वापत प्राप्त रकम उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन हुने आयोजना कार्यक्रममा खर्च गर्न पाईने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । २ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि समपुरक कोषबाट खर्च गर्ने गरी संघिय समपुरक अनुदान बाट कार्य गर्न रु. ३० लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा पालिकाले रु. १३,४१,०१६/- को लागत अनुमान तयार गरी उपभोक्ता समितिबाट रु. ७९,०१६/- तथा कार्यालयबाट रु. १२,७२,०००/- (कन्टिजेन्सी बाहेक) व्यहोर्ने गरी सम्झौता भई सोही बमोजिम कार्यसम्पन्न गरी भुक्तानी गरेको छ । लागत अनुमानको Site Preparation Work अन्तर्गत देहाय बमोजिमको लागत अनुमान तयार गरी सोही अनुसार कार्यसम्पन्न गरेकोमा कुन आधारमा ३० प्रतिशत मेसिन र ७० प्रतिशत मानिसले काम गर्ने गरी दर कायम गरीएको हो, सो को प्राविधिक पुष्टाई पेश नभएकोले सो को पुष्टाई पेश गर्नु पर्दछ ।</p> | | | | | |
| | क्र.स. | कामको विवरण | युनिट | परिमाण | दर | रकम |
| | १ | नरम माटो काट्ने तथा पन्छाउने (३० प्रतिशत मेसिन र ७० प्रतिशत मानिस) | घनमिटर | १२४.४० | ५३३.७४ | ६६३९७.७४ |
| | २ | कडा माटो काट्ने तथा पन्छाउने (३० प्रतिशत मेसिन र ७० प्रतिशत मानिस) | घनमिटर | २९०.२७ | ६११.०६ | १७७३७२.६३ |
| | जम्मा | | | | | २४३३७०.३७ |
| २५. | सोल्पाठाना स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण: सोल्पाठाना स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण कार्यका लागि | | | | | |

| | पालिकाले रु. १९,७१,५८०/- को लागत अनुमान तयार गरी उपभोक्ता समितिबाट रु. ५१,५८०।०० र गाउँपालिकाबाट रु. १९,२०,०००/- बेहोर्ने गरी मिति २०७६।१२।०२ मा सम्झौता भई खुद रु. १६,०५,२६१/- को काम सम्पन्न गरी गाउँपालिकाबाट कन्टिजेन्सी तथा नियमानुसार अग्रिम कर कट्टी समेत गरी रु. १५,२२,५६४/- भुक्तानी गरेको छ । सो सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्नानुसार छन् । | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| २५.१. | सम्झौता अनुसारका सबै काम सम्पन्न गरेपछि मात्र पालिकाले उपभोक्ता समितिलाई अन्तिम रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा लागत अनुमानको क्र.स. ५ मा उल्लेखित Redymade Door Shutter Work तथा क्र.स. ६ को Sal Wood Work for Chaukhats को रु. ३,६६,३१८/८३ को काम नै नगरेको अवस्थामा बाँकी कामको भुक्तानी दिई कार्यसम्पन्न गर्नु नियम संमत देखिएन । | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २५.२. | लागत अनुमान तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनको क्र.श. ४ मा उल्लेखित १:४ को जोडाईको मेशिनबाट बनाईएको ईट्टाको गारो लगाउने काम ८१.०९ घनमिटरको प्रति घन मिटर रु. १५,८८६।०४ का दरले रु. १२,८८,१६१/- को काम सम्पन्न गरी सोही बमोजिम भुक्तानी भएको छ । उपभोक्ता समितिले पेश गरेको विल भरपाई परिक्षण गर्दा २०,५०० वटा ईट्टा मात्र खरिद गरेको विलबाट देखिन्छ । उक्त इट्टाको परिमाण अनुसार ३६.६१ घनमिटर अर्थात रु. ५,८१,०००/-मात्र काम हुने देखिएकोले खरिद विलभन्दा बढी ४४.४८ घनमिटरको हुने रु.७,०६,६११/-का सम्बन्धमा छानविन गरी सोही अवधिमा खरीद गरेको विल तथा प्राविधिक पुष्ट्याई पेश हुनुपर्दछ अन्यथा बढी परिमाण देखाएको रकम असुल हुनुपर्ने रु. | ७०६६११.०० | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २६. | ३ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण: यस वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि पालिकाबाट रु.४०,००,०००/- वजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त रकमबाट उपभोक्ता समितिद्वारा कार्य गर्न रु.४२,२८,२५१/३९ को लागत अनुमान तयार गरेको र उपभोक्ता समितिबाट रु.४,१३,२५१/३९ तथा कार्यालयबाट रु.३८,१५,०००/- (कन्टिजेन्सी बाहेक) व्यहोर्ने गरी मिति २०७६/११/३० मा काम सम्पन्न गर्ने गरी मिति २०७६/०८/०३ मा सम्झौता भएको थियो । पालिकाले मिति २०७६/०११/०३ मा उपभोक्ता समितिलाई रु.११,५२,०००/- पेशकी दिएकोमा तोकिएको अवधिमा उपभोक्ता समितिले काम सम्पन्न गरेको देखिएन । मिति २०७७/०३/१९ मा प्रथम रनिङ्ग विल रु.८,०५,१९०/- पेश गरेकोमा पालिकाले रु.४,६०,८००/- पेशकी फल्ल्यौट गरी बाँकी रु.३,४०,३९०/- भुक्तानि गरेको छ । त्यसै गरी मिति २०७७/०३/३१ मा रु.१,७५,०६१/८३ को मात्र दोस्रो रनिङ्ग विल पेश भएकोमा बाँकी पेशकी रु.६,९१,२००/- फल्ल्यौट गरी पुनः रु.२,८९,०५२/- भुक्तानी गरेको छ । यसरी दोस्रो रनिङ्ग विल सम्म खुद काम रु.९,८०,२५२/५८ भएको प्राविधिक विल पेश भएकोमा यस अवधि सम्म रु.१७,८५,४४२/- भुक्तानि भई रु. ८,०५,१८९/४२ प्राविधिक विल भन्दा बढी भुक्तानि भएको छ । उपभोक्ता समितिले खर्च गरेका रु.२० लाख भन्दा बढिका विभिन्न विल भरपाई पेश गरे पनि प्राविधिक नाप जाँच बेगर बढी भुक्तानि भएको रु. | ८०५१८९.०० | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २७. | लागत अनुमान: सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० को परिधि भित्र रही तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले यस वर्ष देहाय बमोजिमका निर्माण कार्य सम्बन्धि ठेक्काको लागत अनुमान तयार गर्दा पालिकाद्वारा तयार गरीएको स्वीकृत दर विश्लेषण अनुसारको दर भन्दा फरक दर कायम गरी लागत अनुमान तयार गरेको पाईयो जसले गर्दा उक्त ठेक्काहरुको लागत अनुमान देहाय बमोजिम बढ्न गएको छ । केही मुख्य मुख्य आईटमहरुको गणना गर्दा रु.१३,९२,४५१/- को फरक परी लागत अनुमानमा वृद्धि भएको देखियो । क) ठेक्का नं ३/२०७६/०७७ वडा नं २ कार्यालय भवन निर्माण: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि. नं</th> <th>विवरण</th> <th>युनिट</th> <th>परिमाण</th> <th>लागत अनुमानको दर</th> <th>दर विश्लेषणको दर</th> <th>फरक दर</th> <th>फरक रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | सि. नं | विवरण | युनिट | परिमाण | लागत अनुमानको दर | दर विश्लेषणको दर | फरक दर | फरक रकम | | | | | | | | | |
| सि. नं | विवरण | युनिट | परिमाण | लागत अनुमानको दर | दर विश्लेषणको दर | फरक दर | फरक रकम | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------|-------|----------|----------|----------|---------|----------|
| ४ | Pcc Work 1:2:4 | घ.मि | १०.३२ | १५०२०.१२ | १३५६५.२९ | १४५४.४५ | १५०१० |
| ५ | Pcc for RCC Work 1:1.5:3 | घ.मी | ७८.७७ | १७६६८.६१ | १६१५२.६७ | १५१५.९४ | ११९५६२ |
| ६ | TMT ROD Work | के.जी | १११४३.९९ | ११४.०३ | १०९.७२ | ४.३१ | ४८०३१ |
| ७ | Brick Machinery Work 1:4 | घ.मी | ४९.६० | १९५३७.६९ | १६६१२.९ | २९२४.७९ | ११५८२२ |
| १२ | Rubble Machinery Work 1:4 | घ.मी | २०.४० | ९६९४.९८ | ८८५९.८९ | ८३५.०९ | १७०३६ |
| जम्मा | | | | | | | ३,१५,४६१ |

ख) ठेक्का नं ४/२०७६/०७७ वडा नं १ कार्यालय भवन निर्माण :

| सि. नं | विवरण | युनिट | परिमाण | लागत अनुमानको दर | दर विश्लेषणको दर | फरक दर | फरक रकम |
|--------|--------------------------|-------|----------|------------------|------------------|---------|-------------|
| ४ | Pcc Work 1:3:6 | घ.मि | ३.०९ | १४५७९.९२ | ११५६७.८५ | ३०१२.०७ | ९३०७ |
| ५ | Pcc Work 1:2:4 | घ.मी | १०.३२ | १६६९०.५५ | १३५६५.२९ | ३१२५.२६ | ३२२५३ |
| ६ | Pcc for RCC 1:1.5:3 | घ.मी | १००.०५ | १९४१५.९८ | १६१५२.६७ | ३२६३.३१ | ३२६४९४ |
| ७ | TMT ROD Work | के.जी | १३३५१.७९ | १४३.०२ | १०९.७२ | ३३.३० | ४४४६१५ |
| ८ | Brick Machinery Work 1:4 | घ.मी | ५३.२३ | २१४१७.१४ | १६६१२.१० | ४८०५.०४ | २५५७७२ |
| ९ | Stone Machinery Work 1:4 | घ.मी | ५.६३ | १०३७८.३१ | ८८५९.८९ | १८१८.४२ | ८५४९ |
| जम्मा | | | | | | | १०,७६,९९०/- |

यसरी लागत अनुमान तयार गर्दा पालिकाको स्वीकृत नर्मश प्रयोग गरी कायम भएको दर भन्दा फरक दर प्रयोग गरेको सम्बन्धमा छलफल गर्दा ढुवानी भाडाको कारणले फरक परी दर बढ्न गएको भनिएपनि त्यसरी ढुवानी समावेश गरी छुट्टै दर विश्लेषण गरेको प्रमाण पेश भएन ।

| | | |
|-------|--|------------|
| २८. | फिक्कल भ्यू टावर निर्माण : भौ नं ३४७/२०७७/३/२१ यस गाउँपालिकाको फिक्कल डाँडामा भ्यू टावर निर्माण कार्यको लागि यस वर्ष रु.३०,००,०००/- बजेट विनियोजन गरीएको र रु.२९,४१,८०८/- को लागत अनुमान तयार गरी कार्यालयबाट रु.२८,८०,०००/- (कन्टिजेन्सी बाहेक) तथा उपभोक्ता समितिबाट रु.६१,८०८/४९ व्यहोर्ने गरी मिति २०७६/१२/३० मा काम सम्पन्न गर्ने गरी मिति २०७६/१०/२१ मा उ.स. सँग सम्झौता भएको थियो । उ.स. ले रु.१७,२५,५१५/- को काम सम्पन्न गरी प्रथम रनिङ्ग बिल पेश गरेको बिल भर्पाई परिक्षण गर्दा देखिएको व्यहोरा देहाय बमोजिम छन् । | |
| २८.१. | प्राविधिक बिल तथा नापी किताव अनुसार उक्त भ्यू टावर निर्माणमा ४७.४५ घ.मी अर्थात् १९७७ वटा ८ ईन्चका ए.सी.सी. ब्लक प्रयोग भएको देखिन्छ तर उपभोक्ता समितिले पेश गरेका बिल विजक परिक्षण गर्दा ए.सी.सी लाईट ब्रिक प्रा.ली बाट ८ ईन्चका १०८० वटा र ४ ईन्चका २०० वटा मात्र अर्थात् २८.३२ घ.मी परिमाणको ब्लक खरिद गरेको देखिन्छ । उपभोक्ता समितिले खरिद गरेको भन्दा वढी परिमाण नापी किताव तथा प्राविधिक बिलमा जनाएको १९.१३ घ.मी. को प्रति घ.मी रु.१३,५८०/८५ का दरले हुने रु.२,५९,८०२/- का सम्बन्धमा छानविन गरी वढी नापी देखाइएको असुल हुनुपर्ने रु. | २५९,८०२.०० |
| २८.२. | ए.सी.सी ब्लक निर्माण कार्यको दर रु.१३,५८०/८५ कायम गरेकोमा सो को दर विश्लेषण पेश नभएकोले दर विश्लेषण सहितको प्राविधिक पुष्ट्याई पेश हुनु पर्दछ । | |
| २८.३. | मध्यपहाडी लोकमार्ग देखि खोला गाउँ चनौटे सम्मको सिमेन्ट ढुवानी ४ ट्याक्टर देखाई प्रति ट्याक्टर रु. ७,०००/- का दरले रु.२८,०००/-ढुवानी भाडा प्राविधिक बिल तथा नापी किताबमा उल्लेख छ । तर खोला गाउँ चनौटे देखि निर्माण साईटसम्म मानिसले ३६.७५ बोरा | |

| | | |
|-------|--|-----------|
| | मात्र सिमेन्ट ढुवानी गरेको नापी किताबबाट देखिन्छ । यस सम्बन्धमा छानविन गरी ३ पटकको ट्याक्टर भाडा रु.२१,०००/- बढी देखाएकोले असुल हुनुपर्ने रु. | २१०००.०० |
| २८.४ | मध्यपहाडी लोकमार्ग देखि खोलागाउँ चनौटे सम्म विभिन्न साईजको डण्डी ०.३६ के.जी. ट्याक्टरबाट ढुवानी गरी रु.२५३८.१५ खर्च भएको तथा खोला गाउँ चनौटे देखि निर्माण स्थल सम्म ७२५.१८ के.जी. ढुवानी गरी रु.२१,७५५।५४ खर्च भएको र सोही बमोजिम ७२५.१८ के.जी. नै निर्माणमा प्रयोग भएको देखाएको छ । यसरी ट्याक्टरबाट खोला गाउँ चनौटे सम्म थोरै परिमाण अर्थात् ०.३६ के.जी. ढुवानी भएकोमा उक्त स्थानबाट निर्माण स्थल सम्म मानिसले ढुवानी गरेको भनिएको ७२५.१८ के.जी. को ढुवानी भाडा रु.२१,७५५/- तथा नापी किताब तथा प्राविधिक बिलमा चढेको रु.७७,०५९/- समेत रु.९८,८१४/- का सम्बन्धमा छानविन गरी प्राविधिक पुष्टयाई पेश हुनुपर्ने रु. | ९८८१४.०० |
| २८.५ | उपभोक्ता समितिले मिति २०७६/१२/३० मा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा उक्त कार्य सम्पन्न नभई अधुरो रहेको देखिन्छ । प्रथम रनिङ्ग विल भुक्तानि गर्दा सम्म उपभोक्ताले व्यहोर्ने परिमाण व्यहोरेको छैन । अन्तिम विल भुक्तानि गर्दा उपभोक्ताले गर्ने कामको परिमाण र रकम हिसाब मिलान गरीने कार्यालयको भनाई रहेको छ । | |
| २९. | महादेव डाँडा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण : भौ.नं १६६/२०७७/०२/०२ र भौ.नं ३३८/२०७७/०३/३१ यस स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणका लागि रु.२०,००,०००/- विनियोजन भई रु.२१,१६,७२०/- को लागत अनुमान तयार गरी उ.स.बाट रु.२,२१,७२०/- तथा कार्यालयबाट कन्टिजेन्सी बाहेक रु.१८,९५,०००/- भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा रु.२०,९४,६२६/८७ को काम सम्पन्न गरी पेश भएका प्राविधिक बिल नापी किताब तथा अन्य बिल भर्पाईका आधारमा कन्टिजेन्सी बाहेक रु.१९,०८,५५३/- भुक्तानी भएको छ । सो सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा देहाय बमोजिम छन । | |
| २९.१. | प्राविधिक बिल तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनको आईटम नं ४ मा ईटाको गारो १:४ कार्य बापत ८१.३६ घ.मी. को रु.१५८८६।०४ का दरले रु.१२,९२,४९८/- को कार्य सम्पन्न भएको जनाई सोहि बमोजिम भुक्तानि भएको छ । उपभोक्ता समितिले पेश गरेको खरिदको बिल अनुसार ४०००० वटा ईटा मात्र खरिद गरेको देखिन्छ । उक्त ४०००० ईटाबाट ७१.४३ घ.मी. मात्र काम हुने देखिएकोले बढी नापी तथा कार्य सम्पन्न देखाएको ९.९३ घ.मी. को रु.१,५७,७५२/- का सम्बन्धमा छानविन गरी सोहि अवधिमा खरिद गरेको खरिद विल तथा प्राविधिक पुष्टयाई पेश हुनुपर्दछ । अन्यथा उक्त बढी परिमाण देखाई भुक्तानि भएको रकम असुल हुनुपर्ने रु. | १५७७५२.०० |
| २९.२. | लागत अनुमान तथा सम्झौता अनुसार गाउँपालिकाबाट उपभोक्ता समितिलाई रु.१८,९५,०००/- मात्र अनुदान भुक्तानी गर्नुपर्नेमा रु.१९,०८,५५३/- भुक्तानी भएको हुँदा बढी भुक्तानि भएको रकम रु. १३,५५३/- असुल हुनुपर्ने रु. | १३५५३.०० |

| ३०. | <p>सोझै खरिद - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५(१ख) अनुसार एक आर्थिक वर्षमा एकैपटक वा पटक पटक गरी रु.५ लाख भन्दा बढी रकमको एउटै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट सोझै खरिद गर्न नसकिने व्यवस्था छ । पालिकाले उपरोक्त व्यवस्था विपरित देहाय बमोजिम एउटै आपूर्तिकर्ताबाट सीमाभन्दा बढीको खरिद गरेको पाईएकोले उक्त खरिद कार्य नियम सम्मत नदेखिएको रु.</p> <table border="1" data-bbox="300 369 1329 920"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.नं/मिति</th> <th>विवरण</th> <th>आपूर्तिकको नाम</th> <th>भुक्तानि रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>७/२०७६/०६/३०</td> <td>विभिन्न फर्निचर तथा फर्निचिङ सामान</td> <td>एस.ए. फर्निचर एण्ड फर्निचिङ सप्लायर्स</td> <td>४९३५९५</td> </tr> <tr> <td>१६/२०७६/०८/०८</td> <td>विभिन्न फर्निचर तथा फर्निचिङ सामान</td> <td>एस.ए. फर्निचर एण्ड फर्निचिङ सप्लायर्स</td> <td>१४८५३२</td> </tr> <tr> <td>९९/२०७६/१२/०७</td> <td>विभिन्न फर्निचर तथा फर्निचिङ सामान</td> <td>एस.ए. फर्निचर एण्ड फर्निचिङ सप्लायर्स</td> <td>९०६२६</td> </tr> <tr> <td>२१६/२०७७/०३/१२</td> <td>विभिन्न फर्निचर तथा फर्निचिङ सामान</td> <td>एस.ए. फर्निचर एण्ड फर्निचिङ सप्लायर्स</td> <td>९०६२८</td> </tr> <tr> <td>२६९/२०७७/०३/२६</td> <td>विभिन्न फर्निचर तथा फर्निचिङ सामान</td> <td>एस.ए. फर्निचर एण्ड फर्निचिङ सप्लायर्स</td> <td>७८६८८</td> </tr> <tr> <td colspan="3">जम्मा</td> <td>९०२०६९</td> </tr> </tbody> </table> | गो.भौ.नं/मिति | विवरण | आपूर्तिकको नाम | भुक्तानि रकम | ७/२०७६/०६/३० | विभिन्न फर्निचर तथा फर्निचिङ सामान | एस.ए. फर्निचर एण्ड फर्निचिङ सप्लायर्स | ४९३५९५ | १६/२०७६/०८/०८ | विभिन्न फर्निचर तथा फर्निचिङ सामान | एस.ए. फर्निचर एण्ड फर्निचिङ सप्लायर्स | १४८५३२ | ९९/२०७६/१२/०७ | विभिन्न फर्निचर तथा फर्निचिङ सामान | एस.ए. फर्निचर एण्ड फर्निचिङ सप्लायर्स | ९०६२६ | २१६/२०७७/०३/१२ | विभिन्न फर्निचर तथा फर्निचिङ सामान | एस.ए. फर्निचर एण्ड फर्निचिङ सप्लायर्स | ९०६२८ | २६९/२०७७/०३/२६ | विभिन्न फर्निचर तथा फर्निचिङ सामान | एस.ए. फर्निचर एण्ड फर्निचिङ सप्लायर्स | ७८६८८ | जम्मा | | | ९०२०६९ | ९०२०६९.०० | | |
|--|--|--|------------------------|------------------|---------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|--|--|--------|-----------|----------|----------|
| गो.भौ.नं/मिति | विवरण | आपूर्तिकको नाम | भुक्तानि रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७/२०७६/०६/३० | विभिन्न फर्निचर तथा फर्निचिङ सामान | एस.ए. फर्निचर एण्ड फर्निचिङ सप्लायर्स | ४९३५९५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १६/२०७६/०८/०८ | विभिन्न फर्निचर तथा फर्निचिङ सामान | एस.ए. फर्निचर एण्ड फर्निचिङ सप्लायर्स | १४८५३२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९९/२०७६/१२/०७ | विभिन्न फर्निचर तथा फर्निचिङ सामान | एस.ए. फर्निचर एण्ड फर्निचिङ सप्लायर्स | ९०६२६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २१६/२०७७/०३/१२ | विभिन्न फर्निचर तथा फर्निचिङ सामान | एस.ए. फर्निचर एण्ड फर्निचिङ सप्लायर्स | ९०६२८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २६९/२०७७/०३/२६ | विभिन्न फर्निचर तथा फर्निचिङ सामान | एस.ए. फर्निचर एण्ड फर्निचिङ सप्लायर्स | ७८६८८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | ९०२०६९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| प्रदेश पूर्वाधारतर्फ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३१. | <p>बढी भुक्तानी: आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६ को उपनियम ८ अनुसार कुनै रकमको भुक्तानी दिदा रित पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले उपभोक्ता समितिबाट विभिन्न मितिमा भएको सम्झौताबमोजिम देहायबमोजिमका भौचर र मितिबाट उपभोक्ता समितिबाट गरेको कार्यमा गाउँपालिकाबाट अनुदान हुने रकमभन्दा बढी भुक्तानी भएको असुल गर्नुपर्ने रु.</p> <table border="1" data-bbox="300 1211 1329 1603"> <thead> <tr> <th>भौ नं । मिति</th> <th>विवरण</th> <th>उपभोक्ता समिति</th> <th>भुक्तानी गर्नुपर्ने</th> <th>भुक्तानी भएको</th> <th>बढी भुक्तानी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>६।२०७७।०३।०४</td> <td>ढोडेनी मोटरबाटो स्तरोन्नति</td> <td>ढोडेनी मोटरबाटो स्तरोन्नति उ स</td> <td>९४००००</td> <td>९६००००</td> <td>२००००</td> </tr> <tr> <td>१०।२०७७।०३।२५</td> <td>रचनेथाम खेल मैदान निर्माण</td> <td>रचनेथाम खेल मैदान निर्माण उ स</td> <td>९२००००</td> <td>९४०२४२</td> <td>२०२४२</td> </tr> <tr> <td>१४।२०७७।०३।३०</td> <td>चाल्नेखोला सोल्पाठाना सडक ढलान निर्माण</td> <td>चाल्नेखोला सोल्पाठाना सडक ढलान निर्माण उ स</td> <td>१५६३७८२।८२</td> <td>१६०७९९३</td> <td>४४२११</td> </tr> <tr> <td colspan="3">जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td>८४४५३.००</td> </tr> </tbody> </table> | भौ नं । मिति | विवरण | उपभोक्ता समिति | भुक्तानी गर्नुपर्ने | भुक्तानी भएको | बढी भुक्तानी | ६।२०७७।०३।०४ | ढोडेनी मोटरबाटो स्तरोन्नति | ढोडेनी मोटरबाटो स्तरोन्नति उ स | ९४०००० | ९६०००० | २०००० | १०।२०७७।०३।२५ | रचनेथाम खेल मैदान निर्माण | रचनेथाम खेल मैदान निर्माण उ स | ९२०००० | ९४०२४२ | २०२४२ | १४।२०७७।०३।३० | चाल्नेखोला सोल्पाठाना सडक ढलान निर्माण | चाल्नेखोला सोल्पाठाना सडक ढलान निर्माण उ स | १५६३७८२।८२ | १६०७९९३ | ४४२११ | जम्मा | | | | | ८४४५३.०० | ८४४५३.०० |
| भौ नं । मिति | विवरण | उपभोक्ता समिति | भुक्तानी गर्नुपर्ने | भुक्तानी भएको | बढी भुक्तानी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६।२०७७।०३।०४ | ढोडेनी मोटरबाटो स्तरोन्नति | ढोडेनी मोटरबाटो स्तरोन्नति उ स | ९४०००० | ९६०००० | २०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १०।२०७७।०३।२५ | रचनेथाम खेल मैदान निर्माण | रचनेथाम खेल मैदान निर्माण उ स | ९२०००० | ९४०२४२ | २०२४२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४।२०७७।०३।३० | चाल्नेखोला सोल्पाठाना सडक ढलान निर्माण | चाल्नेखोला सोल्पाठाना सडक ढलान निर्माण उ स | १५६३७८२।८२ | १६०७९९३ | ४४२११ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | | | ८४४५३.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम: पुँजीगत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३२. | <p>बढी भुक्तानी: सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा सार्वजनिक निकायले स्विकृत गरेको नर्म्सको आधारमा लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान अन्तर्गत राष्ट्रिय ग्रामिण नविकरणीय उर्जा कार्यक्रमको बजेट शिर्षक बाट खर्च लेखिने गरी पालिकाको कार्यालय, वडा नं ४ स्वास्थ्य चौकी र उद्दव स्मृति पार्क वडा नं.५ मा सोलार जडान कार्यमा १५० A.H solar battery खरीदमा पालिकाले कायम गरेको दररेट भन्दा बढी दररेट राखी बढी भुक्तानी गरेको असुल हुनुपर्ने रु.</p> <table border="1" data-bbox="300 1928 1329 2029"> <thead> <tr> <th>भौ नं । मिति</th> <th>पालिकाले कायम गरेको दर</th> <th>भुक्तानी भएको दर</th> <th>बढी दर</th> <th>परिमाण</th> <th>बढी भुक्तानी (भ्याट सहित)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>३।२०७६।११।१३</td> <td>२२१००</td> <td>२६५५०</td> <td>४४५०</td> <td>८</td> <td>४०२२८</td> </tr> </tbody> </table> | भौ नं । मिति | पालिकाले कायम गरेको दर | भुक्तानी भएको दर | बढी दर | परिमाण | बढी भुक्तानी (भ्याट सहित) | ३।२०७६।११।१३ | २२१०० | २६५५० | ४४५० | ८ | ४०२२८ | ८०००४.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| भौ नं । मिति | पालिकाले कायम गरेको दर | भुक्तानी भएको दर | बढी दर | परिमाण | बढी भुक्तानी (भ्याट सहित) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३।२०७६।११।१३ | २२१०० | २६५५० | ४४५० | ८ | ४०२२८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------------|----------|---------------------|---------------------------|
| | १२।२०७७।०१।२६ | २२१०० | २६५०० | ४४०० | ८ | ३९७७६ |
| | | जम्मा | | | | ८०००४ |
| ३३. | <p>बढी भुक्तानी: सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा सार्वजनिक निकायले स्विकृत गरेको नर्म्सको आधारमा लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पौती खोला साना सिचाई मर्मत योजना उपभोक्ता समितिलाई 110mm HDPE pipe 6 kg/sq cm पाइप खरीदको भुक्तानीमा देहायका भौचर र मितिबाट पालिकाको स्विकृत दर भन्दा बढी दरमा भुक्तानी भएको असुल हुनुपर्ने रु.</p> | | | | | ७०४०.०० |
| | भौ नं ।मिति | पालिकाले कायम गरेको दर | भुक्तानी भएको दर | फरक दर | परिमाण | बढी भुक्तानी (भ्याट सहित) |
| | ४१।२०७७।०३।३१ | ६३६.२५ | ६६६.७९ | ३०.५४ | १०२ | ३५२० |
| | ४५।२०७७।०३।३१ | ६३६.२५ | ६६६.७९ | ३०.५४ | १०२ | ३५२० |
| | जम्मा | | | | | ७०४० |
| ३४. | <p>दररेट भन्दा बढी भुक्तानी: सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा सार्वजनिक निकायले स्विकृत गरेको नर्म्सको आधारमा लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गो भौ नं १६३ मिति २०७७।०३।३१ बाट फिक्कल मा वि खाडसाडको शौचालय निर्माणको अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिँदा देहायबमोजिमका आइटमहरूका गाउँपालिकाको दररेट भन्दा बढी दररेट राखी भुक्तानी दिएको रकम सम्बन्धित विद्यालयबाट असुल हुनुपर्ने रु.</p> | | | | | ४६९६.०० |
| | विवरण | पालिकाले कायम गरेको दर | भुक्तानी भएको दर | फरक दर | परिमाण | बढी भुक्तानी भ्याट सहित |
| | Reinforcement Bar | १०६।२६ | ११६।९६ | १०।७ | ३८८।३४ | ४६९६ |
| | जम्मा | | | | | ४६९६ |
| संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम: चालु | | | | | | |
| ३५. | <p>शिक्षक दरबन्दी र पदपूर्ति - स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा दरबन्दी अनुसार शिक्षकको पदपूर्ति भई नियमित पठनपाठनको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यस स्थानीय तह अन्तर्गत विभिन्न तहका ५४ सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षक दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्था एवं विद्यार्थीको संख्या निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।</p> | | | | | |
| | सि.नं | विद्यालयको नाम | शिक्षक दरबन्दी | पदपूर्ति | पदपूर्ति मध्ये करार | विद्यार्थी संख्या |
| | १ | श्री बालकल्याण प्रावि पोखरीडाडा | १ | १ | | २७ |
| | २ | लोकप्रकाश आधारभुत विद्यालय ठुलीवन | १ | ० | १ | १२० |
| | ३ | सरस्वती प्रा.वि. नागदह | ० | ० | ० | ३५ |
| | ४ | सुनकोशी मा.वि. खाडसाड | १३ | १२ | १ | २६१ |
| | ५ | चम्पादेवी प्रा.वि. पाहारेपी | १ | १ | ० | ३५ |
| | ६ | सिद्धेश्वरी प्रा.वि. पोटी | १ | १ | | ७३ |
| | ७ | महाकाली मा.वि. पोटी खाडसाड | ४ | १ | | २७७ |
| | ८ | ज्ञानोदय प्रा.वि. माझटोल | | | | ३७ |
| | ९ | ककनिदेवी प्रा.वि. झगरे | १ | १ | | ७१ |
| | १० | सुनकोशी आधारभुत विद्यालय कवासे | | | | २८ |
| | ११ | कालिका प्रा.वि. खोलागाउँ | | | | २७ |
| | १२ | महाकाली प्रा.वि. तल्लो चनौटे | २ | १ | १ | ६१ |
| | १३ | प्रकाशोदय मा.वि. खोलागाउँ | २ | २ | | ३१२ |
| | १४ | प्रा.वि. सुम्नाम ओखेनी | २ | २ | | ३६ |
| | १५ | प्रा.वि. महामण्डल | १ | १ | | ३७ |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| १६ | चण्डिका मा.वि. चनौटे | ४ | ४ | | ३१४ |
| १७ | मा.वि. रातमाटा खोलागाउँ | ७ | ७ | | १९० |
| १८ | जनजागृती मा.वि. ढोडेनी | ३ | २ | १ | ३४७ |
| १९ | जनकल्याण नि.मा.वि. नयागाउँ | २ | २ | | २०० |
| २० | जनता प्रा.वि. आरुवोट | १ | १ | | ५६ |
| २१ | जनप्रेमी प्रा.वि. दमारचौकी | १ | | १ | ५२ |
| २२ | जनज्योती प्रा.वि. सोलीडाँडा | | | | ५२ |
| २३ | जनकल्याण प्रा.वि. पाथिभारा | | | | ६७ |
| २४ | आधारभूत विद्यालय काउलेडाडा | १ | १ | | १४७ |
| २५ | मा.वि. महादेवडाँडा | ७ | ४ | | २८८ |
| २६ | फिक्कल प्रा.वि. वीरवलभञ्ज्याङ | | | | ६४ |
| २७ | मा.वि. सालुके | ४ | ४ | | २५८ |
| २८ | आधारभूत पिपलभञ्ज्याङ | २ | २ | | ३७ |
| २९ | आधारभूत विद्यालय देउकीडाँडा | १ | | १ | १७३ |
| ३० | आधारभूत विद्यालय राइगाउँ | २ | २ | | ६७ |
| ३१ | जनता आधारभूत विद्यालय भीरगाउँ | १ | | १ | २०३ |
| ३२ | जनजागृती प्रा.वि. सोखुखोला | २ | २ | | ८४ |
| ३३ | रत्नगंगा मा.वि. सोखुडिहिटार | १ | १ | | २२९ |
| ३४ | जनता प्रा.वि. सिलङ्गे | १ | १ | १ | ७३ |
| ३५ | प्रा.वि. देउराली | | | | ५० |
| ३६ | जनप्रिय प्रा.वि. भालिथुक्का | | | | १९ |
| ३७ | प्रा.वि. बाहिसे | १ | १ | | १९ |
| ३८ | कालिकादेवी नि.मा.वि. जाडजाड | १ | १ | १ | १०० |
| ३९ | सुनकोशी प्रा.वि. झगरे | १ | १ | | १५ |
| ४० | आधारभूत विद्यालय बाहिबसे तुलुङ्गा | १ | १ | | ५५ |
| ४१ | फिक्कल मा.वि. सोल्पा | ७ | ७ | | ३५५ |
| ४२ | फिक्कल देवी प्रा.वि. बाझागाउँ | | | | ४१ |
| ४३ | गुजिटर प्रा.वि. अर्थुङ्गे रानागाउँ | १ | १ | | २४ |
| ४४ | सुर्योदय प्रा.वि. खानिगाउँ | | | | २३ |
| ४५ | ओम कारेधरी प्रा.वि. | १ | १ | | ३६ |
| ४६ | कालिका प्रा.वि. बबला | १ | १ | | ६२ |
| ४७ | मा.वि. सुम्नाम सुन्तले चण्डिभञ्ज्याङ | ३ | २ | १ | २८७ |
| ४८ | मा.वि. लुम्ति | ९ | ८ | १ | २६५ |
| ४९ | पाटनदेवी प्रा.वि. धमिनी | १ | १ | | |
| ५० | प्रा.वि. बरमथुम्की | १ | १ | | ४५ |
| ५१ | प्रा.वि. पौती | २ | २ | | ४६ |
| ५२ | पाटनदेवी प्रा.वि. माहुरिभञ्ज्याङ | | | | २१ |
| ५३ | सिद्धिकोटी प्रा.वि. चिउरिखानी | १ | १ | | २३ |
| ५४ | सरस्वती प्रा.वि. दर्वे | | | | २५ |
| | जम्मा | १०० | ८५ | ११ | ५८४९ |

यस सम्बन्धमा निम्नानुसार देखिएको छ ।

- स्थानीय तह मातहतमा रहेका ५४ विद्यालय मध्ये सि.न. द, ११, २६, ३५, ३६, ४४ र ५४ मा उल्लेखित विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या भएपनि शिक्षक दरबन्दी रहेको देखिएन । उल्लेखित विद्यालयहरूमा पालिकाले दरबन्दी स्वीकृत गरी आन्तरिक श्रोतबाट तलवभत्ता खुवाउने गरि पदपूर्ति गरेको जनाएको छ ।
- ४७ विद्यालयमा १०० शिक्षक दरबन्दी रहेकोमा ८५ पदपूर्ति भएको र पदपूर्ति मध्ये ११ करारमा रहेको देखिन्छ । दरबन्दी अनुसारको शिक्षक पदपूर्ति हुनुपर्दछ ।
- विद्यार्थी संख्याको तुलनामा शिक्षक बढी भएकोबाट कम भएको विद्यालयमा शिक्षकको

| | दरबन्दी मिलान एंव न्युन विद्यार्थी भएका विद्यालयहरु सम्भाव्यताका आधारमा मर्ज गर्नुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--------------|--------------------------------|---------------|-------|----------------|-----------------|---------------------------------|------|---------------|----------------|-----------------------------------|---|-------|--------|-----------|-------|-------|---------------|----------|-----------|--|-------|-------|----------|
| ३६. | <p>पारिश्रमिक कर: आय कर ऐन, २०५८ अनुसार वासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा श्रोत भएको सेवा शुल्क कमिशन बिक्री बोनस अवकास सुविधा र अन्य कुनै प्रतिफलको भुक्तानीमा १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । भौ न १४८ मिति: २०७७।०३।३१ बाट फिक्कल सामुदायिक अध्ययन केन्द्रमा सन्चालन भएको ३० दिने कम्प्युटर तालिममा देहायबमोजिमका प्रशिक्षक तथा संयोजकले रु. ९३,७५०/- बझिलिएकोमा सो भुक्तानीमा १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गरेको नपाइएकोले देहायका व्यक्तिबाट असुल गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला हुनुपर्ने रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>नाम</th> <th>भुक्तानी रकम</th> <th>१५ प्रतिशत कट्टी गर्नुपर्ने रु</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>दिनेश भण्डारी</td> <td>१५३००</td> <td>२७००</td> </tr> <tr> <td>सुनिता सुवेदी</td> <td>१५३००</td> <td>२७००</td> </tr> <tr> <td>योगेश श्रेष्ठ</td> <td>१५३००</td> <td>२७००</td> </tr> <tr> <td>गायत्री सुनुवार</td> <td>१५३००</td> <td>२७००</td> </tr> <tr> <td>केशव बराल</td> <td>१५३००</td> <td>२७००</td> </tr> <tr> <td>मिन व श्रेष्ठ</td> <td>३१८७</td> <td>५६२</td> </tr> <tr> <td></td> <td>९३७५०</td> <td>१४०६२</td> </tr> </tbody> </table> | नाम | भुक्तानी रकम | १५ प्रतिशत कट्टी गर्नुपर्ने रु | दिनेश भण्डारी | १५३०० | २७०० | सुनिता सुवेदी | १५३०० | २७०० | योगेश श्रेष्ठ | १५३०० | २७०० | गायत्री सुनुवार | १५३०० | २७०० | केशव बराल | १५३०० | २७०० | मिन व श्रेष्ठ | ३१८७ | ५६२ | | ९३७५० | १४०६२ | १४०६२.०० |
| नाम | भुक्तानी रकम | १५ प्रतिशत कट्टी गर्नुपर्ने रु | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| दिनेश भण्डारी | १५३०० | २७०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सुनिता सुवेदी | १५३०० | २७०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| योगेश श्रेष्ठ | १५३०० | २७०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| गायत्री सुनुवार | १५३०० | २७०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| केशव बराल | १५३०० | २७०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| मिन व श्रेष्ठ | ३१८७ | ५६२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ९३७५० | १४०६२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३७. | <p>स्यानेटरी प्याड खरीद: सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सिमित नहुने गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा रु.५ लाखसम्मको खरिद कार्य सोभै गर्न सकिने, रु.५ लाखभन्दा माथि रु.२० लाखसम्म सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट र सोभन्दा माथि बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्ने व्यवस्था छ । स्यानेटरी प्याड खरीदका लागि रु. १४,०२,०००/- बजेट विनियोजन भएकोमा पालिकाले वर्षको अन्त्यमा आएर सोझै खरिद गरेको छ । छात्राहरुको स्वास्थ्य तथा सरसफाईसँग जोडिएको यस्तो खरीद कार्यको आर्थिक वर्षको सुरुमा खरीद प्रकृया सुरु गरी समयमै वितरण व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा कार्यालयले हालसम्म पनि विद्यालयलाइ वितरण गरेको पाइएन । कोभिड १९ का कारण विद्यालयहरु बन्द भएको अवस्थामा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो परिमाणमा प्याड खरीद गर्नु र विद्यालयलाइ हालसम्म वितरण नगर्नु उचित नदेखिनुका साथै सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान गरी गर्न सकिने काम सोझै खरिद गर्नु नियमित नदेखिएको रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ न मिति</th> <th>विवरण</th> <th>आपूर्तक</th> <th>संख्या</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>११०।२०७७।०३।२१</td> <td>स्यानेटरी प्याड</td> <td>जी एच मेडीहेल्थ कन्सर्न भक्तपुर</td> <td></td> <td>४९८२९१</td> </tr> <tr> <td>११०।२०७७।०३।२१</td> <td>स्यानेटरी प्याड कच्चा पदार्थ खरिद</td> <td>अप्सरा प्रोडक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि काठमाडौं</td> <td></td> <td>४९८९२१</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td></td> <td>९,९७,२१२</td> </tr> </tbody> </table> | भौ न मिति | विवरण | आपूर्तक | संख्या | रकम | ११०।२०७७।०३।२१ | स्यानेटरी प्याड | जी एच मेडीहेल्थ कन्सर्न भक्तपुर | | ४९८२९१ | ११०।२०७७।०३।२१ | स्यानेटरी प्याड कच्चा पदार्थ खरिद | अप्सरा प्रोडक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि काठमाडौं | | ४९८९२१ | | | जम्मा | | ९,९७,२१२ | ९९७२१२.०० | | | | |
| भौ न मिति | विवरण | आपूर्तक | संख्या | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११०।२०७७।०३।२१ | स्यानेटरी प्याड | जी एच मेडीहेल्थ कन्सर्न भक्तपुर | | ४९८२९१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११०।२०७७।०३।२१ | स्यानेटरी प्याड कच्चा पदार्थ खरिद | अप्सरा प्रोडक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि काठमाडौं | | ४९८९२१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | जम्मा | | ९,९७,२१२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३८. | <p>औषधी खरिद - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १(क) मा विस लाख रुपैयाँसम्मको औषधिजन्य मालसामान उत्पादकले राष्ट्रिय स्तरको समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था भए छ । तर स्थानीय तहहरुले उक्त प्रक्रियावेगर रु.९,९४,९४७/- का औषधि सोझै खरिद गरेको छ। यस सम्बन्धी देखिएको व्यहोराहरु त्रिानुसार छन:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३८.१. | <p>खरिद गरेका उक्त औषधि कुन औषधि कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्य राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा प्रकाशन समेत भएको नदेखिएको,</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ३८.२. | आपूर्ति हुने औषधि डब्लु.एच.ओ. सटिफाइड हुनुपर्ने औषधिको उत्पादन मिति, व्याच नं र म्याद समाप्त मिति उल्लेख गरी सम्बन्धित विषय विज्ञात मुचुल्का उठाई राख्ने नगरेको तथा उक्त औषधि बिक्रीको लागि होइन खुलाएको प्रमाण समावेश नभएको, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------|-------|------|-------|------------------|--------|-------|------|------|--------------|--|--|--|----------------|--|
| ३८.३. | आपूर्ति भएका औषधी एंवम सर्जिकल समान स्टोर दाखिला हुनुअघि स्पेशीफिकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औषधिको गुणस्तर र म्याद सम्बन्धमा यकिन गर्न सकिएन । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३८.४. | औषधिको जिन्सी कितावमा आम्दानी बाँध्दा खरिद गरेको र जिल्लाबाट हस्तान्तरण भई आएको खुल्ने गरी व्यवस्थित रूपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३८.५. | औषधिको खर्च घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पर्ने एकमुष्ट घटाउने गरेको । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | तसर्थ औषधिको खरिद, आपूर्ति, दाखिला तथा खर्चको विवरण अद्यावधिक हुने गरी अभिलेख राख्ने, तोकिएको गुणस्तर अनुसारकै औषधि प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी हस्तान्तरण तथा खरिद गरिएको औषधिको विवरण खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहेको औषधिहरू जिम्मेवारी जिन्सी अभिलेख व्यवस्थित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जिल्ला समन्वय समितितर्फ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३९. | गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि श्री कृष्ण/दाहाल जे भी सँग रु २९,४७,९५४/६७ मा सम्झौता भएकोमा काम सम्पन्न गरी भौ नं ७ मिति २०७७।०३।३१ बाट भुक्तानी दिइएको छ । लागत अनुमान अनुसार उक्त भवनमा reinforcement bar (cost estimate S.N.7) मा ७३२४.६४ केजी डण्डी प्रयोग गर्नुपर्नेमा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा ४०८१.४१ केजी मात्र डण्डी प्रयोग भएको देखियो । यसरी लागत अनुमान भन्दा ४४.२८ प्रतिशत कम डण्डी प्रयोग गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको हुदा भवनको गुणस्तरमा विश्वस्त हुन सकिएन । यस सम्बन्धी थप प्राविधिक पुष्ट्याई पेश हुनुपर्ने देखिन्छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | चालुतर्फ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४०. | घटी कर कट्टी: कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले रोजगारीबाट प्राप्त गरेको पारिश्रमिकको गणना गर्दा आय कर ऐन, २०५८ को दफा १० अनुसार छुट गर्न मिल्ने रकम घटाई बाँकी रहेको कर योग्य आयमा सोही ऐनको अनुसुची १ अनुसार कर लगाउनुपर्ने उल्लेख छ । देहायका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक कर घटी कट्टी भएकोले सम्बन्धित बाट असुल गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला हुनुपर्ने रु. | २७९२८.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>कर्मचारीको नाम</th> <th>वार्षिक आम्दानी</th> <th>कर कट्टी हुनुपर्ने</th> <th>कर कट्टी भएको</th> <th>घटी कट्टी भएको</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ई श्री राकेश कुमार शाह</td> <td>६२१८७०</td> <td>२८८७४</td> <td>६२२०</td> <td>२२६५४</td> </tr> <tr> <td>सव ई संजीव चौधरी</td> <td>५०८६००</td> <td>१०३६०</td> <td>५०८६</td> <td>५२७४</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">जम्मा</td> <td>२७९२८/-</td> </tr> </tbody> </table> | कर्मचारीको नाम | वार्षिक आम्दानी | कर कट्टी हुनुपर्ने | कर कट्टी भएको | घटी कट्टी भएको | ई श्री राकेश कुमार शाह | ६२१८७० | २८८७४ | ६२२० | २२६५४ | सव ई संजीव चौधरी | ५०८६०० | १०३६० | ५०८६ | ५२७४ | जम्मा | | | | २७९२८/- | |
| कर्मचारीको नाम | वार्षिक आम्दानी | कर कट्टी हुनुपर्ने | कर कट्टी भएको | घटी कट्टी भएको | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ई श्री राकेश कुमार शाह | ६२१८७० | २८८७४ | ६२२० | २२६५४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सव ई संजीव चौधरी | ५०८६०० | १०३६० | ५०८६ | ५२७४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | | २७९२८/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४१. | पारिश्रमिक कर: आय कर ऐन, २०५८ अनुसार वासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा श्रोत भएको सेवा शुल्क कमिशन बिक्री बोनस अवकास सुविधा र अन्य कुनै प्रतिफलको भुक्तानीमा १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सन्चालन गर्न श्री हिमालय संचार गृह प्रालि र सुनकोशी एफएम प्रालि सँग सम्झौता गरी भौ न २९७।२०७७।०३।२२ बाट सो कार्यक्रम संचालक र प्रतिवेदन लेखनबापत रु.२४,०००/- भुक्तानी गरेको छ । सो भुक्तानीमा १५ प्रतिशतका दरले कट्टी गर्नुपर्नेमा जम्मा १ प्रतिशतका दरले मात्र कट्टी गरिएकोले नपुग रकम रु ३३६० देहायका व्यक्तिबाट असुल गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला हुनुपर्ने रु. | ३३६०.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>नाम</th> <th>भुक्तानी रकम</th> <th>१५ प्रतिशत कट्टी गर्नुपर्ने रु</th> <th>१ प्रतिशत कट्टी गरिएको</th> <th>बाँकी कट्टी हुनुपर्ने</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | नाम | भुक्तानी रकम | १५ प्रतिशत कट्टी गर्नुपर्ने रु | १ प्रतिशत कट्टी गरिएको | बाँकी कट्टी हुनुपर्ने | | | | | | | | | | | | | | | | |
| नाम | भुक्तानी रकम | १५ प्रतिशत कट्टी गर्नुपर्ने रु | १ प्रतिशत कट्टी गरिएको | बाँकी कट्टी हुनुपर्ने | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|--------------|------------|-------------------------|
| | सरला सुनुवार | १०००० | १५०० | १०० | १४०० | |
| | टिकाजंग थापा | १४००० | २१०० | १४० | १९६० | |
| | जम्मा | २४००० | ३६०० | २४० | ३३६० | |
| ४२. | अन्य निकायको खर्च: स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अनुरूप तोकिएको कार्यमा खर्च गर्नुपर्दछ । कार्यालयले निम्नलिखित मिति र भौचरबाट विभिन्न अन्य निकायका लागि विभिन्न कार्यमा रु. १,२४,४५०/- खर्च लेखेको पाइयो । उक्त निकायलाई सम्बन्धित तालुक निकायबाट समेत बजेट विनियोजन भई आउने हुँदा यसरी गरीएको खर्च दोहोरो पर्न सक्ने हुँदा अन्य निकायको खर्च व्यहोर्ने प्रवृत्ति उपयुक्त देखिदैन । | | | | | |
| | गो भौ नं र मिति | निकाय | व्यहोरा | रकम | | |
| | १२।२०७६।६।१३ | प्रहरी चौकी तोश्रामखोला | दशैको मौलापुजाका लागि | ५,०००। | | |
| | १०।२०७६।६।१३ | अस्थायी प्रहरी चौकी,खाडसाड | दशैको दुर्गा पुजाको लागि | १५,०००। | | |
| | १०।२०७६।६।१३ | रत्नावती प्रहरी चौकी सोल्पाठाना | दशैको दुर्गा पुजाको लागि | १०,००० | | |
| | २९३।२०७७।३।२१ | विद्युत प्राधिकरण, सिन्धुली | विद्युत जडान वापत दैनिक भ्रमण भत्ता | २८,३५० | | |
| | ३२८।२०७७।३।२७ | जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली | अनुगमन मुल्याडकन भत्ता | ६६,१०० | | |
| | जम्मा | | | | १,२४,४५०/- | |
| ४३. | बढी भुक्तानी: आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६(८) अनुसार कुनै रकमको भुक्तानी दिदा रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्वीकृत दररेट भन्दा हुने गरी भुक्तानी गर्न हुदैन । पालिकाले भौ नं ३७०।२०७७।०३।३१ बाट अलैची पकेट संचालक समिति महादेवडाँडालाई पाइप खरीदको भुक्तानी गर्दा जिल्ला दररेट भन्दा बढी दरमा भुक्तानी दिएकोले देहायअनुसार हुने रकम असुल हुनुपर्ने रु. | | | | | |
| | विवरण | जिल्ला दररेट | भुक्तानी भएको दर | बढी दर | परिमाण | बढी भुक्तानी भ्याट सहित |
| | 25mmHDPE pipe 10kg/sqcm | ४७।४७ | ५०।५० | ३।०३ | २०० | ६८५ |
| | 40mmHDPE 6kg/sqcm | ८२।२५ | ८७।५० | ५।२५ | ३४७० | २०५८६ |
| | जम्मा | | | | | २१,२७१/- |
| ४४. | मौजुदा सुचिमा नरहेका परामर्शदाताबाट खरीद: सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम ७२ अनुसार सार्वजनिक निकायले रु २० लाख रुपैयाभन्दा कम रकमको परामर्श सेवा ऐनको दफा ६ क बमोजिमको मौजुदा सुचिमा रहेका परामर्शदाताबाट लिखित रूपमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरी खरीद गर्न सकिने व्यवस्था छ । पालिकाले देहायबमोजिम सुचिकृत नभएका संस्थाबाट परामर्श सेवा वापत भुक्तानी गरेको देखियो । यस्ता परामर्शदाताहरूलाई नियमानुसार सुचिकृत गरी अद्यावधिक गर्नुपर्दछ । | | | | | |
| | भौ नं । मिति | परामर्शदाताको नाम | विवरण | भुक्तानी रकम | | |
| | १०।२०७७।०३।३० | रिलेटिभिटी इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी प्रा ली | बडा कार्यालयको प्रशासकिय भवन निर्माणको लागत इस्टीमेट तयार | १३९,८९४ | | |
| | २०४।२०७७।०२।०७ | क्षिरेध्वर नेटवर्क प्रा लि | पालिकाभित्रको बडामा इन्टरनेट सेवा प्रदान | १५,९०१८ | | |
| | जम्मा | | | | २,९८,९१२/- | |
| ४५. | प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७५ अनुसार स्थानीय स्तरमा उपलब्ध जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पुरयाउने र सबैका लागि न्युनतम रोजगारी सुनिश्चित गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । साथै सोहि निर्देशिकाको दफा ५ मा न्युनतम रोजगारीको प्रत्याभुति आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन अन्तर निकाय समन्वयमा थप रोजगारीको अवस्था सिर्जना तथा नयाँ रोजगारीको क्षेत्र पहिचान गरी | | | | | |

२१२७१.००

| | | |
|------------|---|--|
| | <p>कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको बेरोजगारको तथ्याङ्क अध्यावधिक गरी उपलब्ध श्रोत साधन तथा बजेटको अधिकतम सदुपयोग हुने गरी स्थानीय स्तरमा दिर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमको छनौट तथा खर्च गर्नुपर्नेमा गाउँपालिकाबाट प्राप्त विवरण अनुसार सडक निर्माण तथा मर्मत सिंचाइ कुलो निर्माण तथा मर्मत तथा बगैचा निर्माण लगायतका ३३ वटा आयोजना सन्चालन गरी २३९७ जना सुचिकृत बेरोजगार मध्ये ७५४ जनालाई ६४३५ दिन रोजगारि दिएको छ । सन्चालित योजनाका कार्यमा रु ४७ लाख ४२ हजार खर्च गरेकोमा स्थानीय सीपको प्रयोग तथा दिर्घकालिन रोजगारी सिर्जना हुने गरि बेरोजगारको क्षमता विकास तथा सिप सिकाई सम्बन्धी कार्य भएको पाईएन । लक्षित वर्गको कार्यक्रमले निर्धारण गरेको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने तर्फ गाउँपालिकाको ध्यान जानु पर्दछ । कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सन्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ को दफा १२ बमोजिम रु. १,००,०००/- भन्दा बढी लागतको आयोजना सन्चालन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले आयोजनागत रुपमा खटाइएका श्रमिकहरुमध्येबाट १ जना अध्यक्ष १ जना सचिव र १ जना कोषाध्यक्ष सहित ७ सदस्यीय रोजगार उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस पालिकामा यस कार्यक्रम अन्तर्गत सन्चालित ३३ आयोजनामध्ये १७ वटा आयोजना रु एकलाख भन्दा बढी लागतमा सन्चालन भएको तर सो कार्यविधिले भनेबमोजिमको उपभोक्ता समिति गठन भई योजना सन्चालन भएको नपाइएकोले पालिकाले रु एकलाख भन्दा माथीका आयोजना सन्चालन गर्दा सोही कार्यविधि बमोजिम उपभोक्ता समिति गठन गराइ कार्य गराउनतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।</p> | |
| | <p>सामाजिक सुरक्षातर्फ</p> | |
| | <p>यस गाउँपालिकाले यो वर्ष सामाजिक सुरक्षा वापत रु ३,७२,९५,२००/- खर्च गरेकोमा देखिएका व्यहोरा देहायबमोजिम अनुसार छन् ।</p> | |
| <p>४६.</p> | <p>सामाजिक सुरक्षातर्फ - सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ले लाभग्राहीको नाम दर्ता र नवीकरण, लगत कट्टा तोकिएको मिति भित्रै परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा नवीकरण गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्ने, प्रत्येक वर्ष लगत अध्यावधिक गरी लाभग्राहीको संख्या यकिन गर्नुपर्ने, भत्ता वितरण गर्दा बैंक मार्फत भत्ता वितरण गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नियमित रुपमा अनुगमन गर्नुपर्ने, केन्द्रिकृत सूचना प्रणालीमा प्रविष्टी गरि अध्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी सामाजिक सुरक्षाको अख्तियारी पाउने सम्बन्धित स्थानीय निकायको हुने व्यवस्था गरेको छ । पालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा लाभग्राहीको विवरण व्यवस्थित बनाउन व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापन सुचना प्रणाली लागु गरिएको छ । तर प्रणालीमा विवरणहरु शुद्ध र पुर्ण रुपमा प्रविष्टि नगरेको कारणले प्रणालीको माध्यमबाट निकालिएको भरपाईको विवरणमा पनि शुद्धता पाइएन । जसले गर्दा भत्ता वितरणमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको पनि भरपाईमा नाम नहटाइएको जस्तो समस्या देखिएको हुदा अद्यावधिक विवरण विश्वसनिय भए नभएको र गलत लाभग्राही भए नभएको कुरा एकिन हुन सकिएन ।</p> | |
| <p>४७.</p> | <p>नगद वितरण: सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा २२ मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयको स्वीकृति विना हातहातै नगद वितरण गर्न पाइनेछैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम वडा सचिवहरुलाई पेशकी दिई सचिवहरुले हातहातै लाभग्राहीहरुलाई वितरण गरेको देखिन्छ । हातहातै नगद वितरण गरी औंठाछाप लगाएको भरपाईको आधारमा पेशकी फछ्यौट गर्ने गरेको छ । कार्यालयले हातहातै नगद वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि नगद वितरण गरेबाट कार्यविधिको पालना नभएको देखिएकोले यथाशिघ्र यस्ता कार्य बन्द गरी लाभग्राहीको बैंक खातामार्फत मात्र रकम वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।</p> | |

| | विपद् व्यवस्थापन | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------|---|--|------------|---|------------------------------|------------|---|------------------------------|---------|---|---|-----------|---|--------------------------------|-----------|---|-----------------------------|---------|--|-------|-------------|--|
| ४८. | <p>समिति गठन- विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा प्रत्येक स्थानीय तहले अध्यक्ष तथा प्रमुखको अध्यक्षतामा बढीमा १५ जना सदस्य रहेको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले ऐनमा तोकिएबमोजिमको समिति गठन गरेर ८ वटा बैठक बसी विपद् व्यवस्थापन तथा राहत वितरण सम्बन्धी काम गरेको पाइयो। ऐनमा तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारबमोजिम कार्यसम्पादन गर्न समितिलाई थप सक्रिय बनाउनुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४९. | <p>विपद् व्यवस्थापन कोष — विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा विपद् व्यवस्थापनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम तथा कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले बनाएको नियममा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था छ । पालिकाले विपत् व्यवस्थापनमा रु. ८,८६,९७५/- बजेट विनियोजन गरी रु ७,०८,०८५/- खर्च गरी बाँकी रु.१,७८,८९०/- देखिन्छ । पालिकाले उक्त बजेट आर्थिक तथा मानविय सहायतामा खर्च गरेको छ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५०. | <p>वार्षिक प्रतिवेदन — विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तथा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित समितिमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको व्यवस्थाको पालना हुनुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५१. | <p>कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्च: यस गाउँपालिकामा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा देहायबमोजिम जम्मा रु.६४,७६,१५३/- खर्च भएको छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.न.</th> <th>खर्च शिर्षक</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>क्वारेन्टाइन सन्चालन</td> <td>१,२५,१५५।</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>हेल्प डेस्क सन्चालन</td> <td>१,११,१६५।</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>स्वास्थ्य सामग्री खरिद भण्डारण र वितरण</td> <td>२९,५३,७९५।</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>राहत सामग्री भण्डारण र वितरण</td> <td>२५,१३,२९८।</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन</td> <td>७०,०००।</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>खोज उद्धार गरी सुरक्षित स्थानसम्म ल्याउने कार्य</td> <td>२,८८,३४०।</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>जनशक्ती व्यवस्थापन तथा परिचालन</td> <td>३,५०,०००।</td> </tr> <tr> <td>८</td> <td>स्वास्थ्य पुर्वाधार निर्माण</td> <td>६४,४००।</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>६४,७६,१५३/-</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त अनुसार खर्च भएको रु.६४,७६,१५३/- प्रकोप व्यवस्थापन कोषबाट खर्च भएको छ । उक्त खर्च मध्ये राहत सामग्री भण्डारण र वितरणमा खर्च भएको रु.२५,१३,२९८/- मध्ये रु.२२,५१,६४०/- को खरिद सम्बन्धमा पालिकाले सूचना पाटीमा सूचना टाँसी प्रस्ताव माग गरेर कम दर रेट पेश गर्ने बाट खरिद गरेको छ भने बाँकी खरिद सोझै गरेको छ ।</p> | | सि.न. | खर्च शिर्षक | रकम | १ | क्वारेन्टाइन सन्चालन | १,२५,१५५। | २ | हेल्प डेस्क सन्चालन | १,११,१६५। | ३ | स्वास्थ्य सामग्री खरिद भण्डारण र वितरण | २९,५३,७९५। | ४ | राहत सामग्री भण्डारण र वितरण | २५,१३,२९८। | ५ | जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन | ७०,०००। | ६ | खोज उद्धार गरी सुरक्षित स्थानसम्म ल्याउने कार्य | २,८८,३४०। | ७ | जनशक्ती व्यवस्थापन तथा परिचालन | ३,५०,०००। | ८ | स्वास्थ्य पुर्वाधार निर्माण | ६४,४००। | | जम्मा | ६४,७६,१५३/- | |
| सि.न. | खर्च शिर्षक | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | क्वारेन्टाइन सन्चालन | १,२५,१५५। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | हेल्प डेस्क सन्चालन | १,११,१६५। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | स्वास्थ्य सामग्री खरिद भण्डारण र वितरण | २९,५३,७९५। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | राहत सामग्री भण्डारण र वितरण | २५,१३,२९८। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन | ७०,०००। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | खोज उद्धार गरी सुरक्षित स्थानसम्म ल्याउने कार्य | २,८८,३४०। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | जनशक्ती व्यवस्थापन तथा परिचालन | ३,५०,०००। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८ | स्वास्थ्य पुर्वाधार निर्माण | ६४,४००। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | ६४,७६,१५३/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५२. | <p>स्थानीय पुर्वाधार विकास साझेदारी विकास कार्यक्रम तर्फ : यस कार्यक्रम अन्तर्गत रु.१,०५,००,०००/- बजेट विनियोजन भई रु.१,०२,००,०००/- निकास भएकामा सोहि बमोजिम खर्च भएको छ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | सि. नं. | आयोजनाको नाम | लागत अनुमान | लागत सहभिताबाट व्योहोरिने रकम | | | | कार्य सम्पन्न रकम | सम्बन्धित सभासदको नाम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | कार्यक्रमबाट | स्था नीय तक बाट | नै स स वा अ न्य | जनसहभागिता | जम्मा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------|---|---|---------------------|---------|-----------|------------------|
| १ | फिक्कल भ्यू टावर निर्माण | ५०,००,००० | ५०००००० | ० | ० | ठेका प्रकृया मार्फत | ० | ४,७५०,००० | गणेश कुमार पहाडी |
| २ | बाक्सुखोला दोश्रो लघु जलविद्युत आयोजना कुलो मर्मत | २०,००,००० | २०००००० | ० | ० | २११८९५ | २२११८९५ | २१३१८९५ | गणेश कुमार पहाडी |
| ३ | तित्रीबोट डिहिटार अडिबोट गोरुडाँडा बाटो निर्माण | १५,००,००० | १५००००० | ० | ० | १८०००० | १६८०००० | १५५०३५४ | गणेश कुमार पहाडी |
| ४ | रचने थाम खेल मैदान निर्माण | १०,००,००० | १०००००० | ० | ० | १५६९६२ | ११५६९३२ | १०७६९३२ | गणेश कुमार पहाडी |
| ५ | धर्मशाला निर्माण खाडसाड | १०,००,००० | १०००००० | ० | ० | १२६७१७ | ११२६७१७ | १०,३४९६८ | गणेश कुमार पहाडी |
| | | | | | | | ६१७५५४४ | २,६२७,२८६ | |

उपरोक्त सम्पन्न कार्यक्रम मध्ये सि.नं १ मा उल्लेखित रकम रु.४,५०,०००/- पेशकी गएकोमा सम्पन्न प्रमाण पेश भएको छैन ।

| ५३. | पेशकी बाँकी - आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ७४ मा पेशकी दिने र फछ्यौट गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि देहायबमोजिमका भौचर र मितिमा लिएको पेशकी फछ्यौट नभएकोले नियमानुसार फछ्यौट हुनुपर्ने रु. --- | ६६८२९०१.८९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|---|-----------|--------|-----------------------------|--|--|--|---------------|-----------------|---------|-----------------|----------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|---------|-----------------|--------------------------------|--|--|--|--------------|-------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------|--------|---------------|--------------|--|-------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--------------|--------------------|---------|---------------|------------------|--|-------------------|--|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ.नै. र मिति</th> <th>पेशकी लिने कर्मचारी । उपभोक्ता समिति</th> <th>पेशकी रकम</th> <th>कैफियत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">गाउँपालिका चालुतर्फ:</td> </tr> <tr> <td>२३-२०७६।०६।१५</td> <td>सन्दिप उपाध्याय</td> <td>३२२०००।</td> <td>व्यक्तिगत पेशकी</td> </tr> <tr> <td colspan="4">संघ सशर्त चालुतर्फ:</td> </tr> <tr> <td>१५७-२०७७।०३।३१</td> <td>निलहरी लामिछाने</td> <td>३८१०४४।</td> <td>व्यक्तिगत पेशकी</td> </tr> <tr> <td colspan="4">गाउँपालिका पूँजीगततर्फ:</td> </tr> <tr> <td>९५-२०७६।१२।५</td> <td>नेपाल विद्युत प्राधिकरण</td> <td>४९९९८५७।८९</td> <td>संस्थागत पेशकी</td> </tr> <tr> <td>२२१-२०७७।०३।१६</td> <td>डि.एस निर्माण सेवा</td> <td>५३००००</td> <td>ठेकेदार पेशकी</td> </tr> <tr> <td colspan="2">जम्मा</td> <td>५५२९८५७।८९</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">स्थानीय विकास सञ्चालनी</td> </tr> <tr> <td>४-२०७७।०३।१६</td> <td>डि.एस निर्माण सेवा</td> <td>४५००००।</td> <td>ठेकेदार पेशकी</td> </tr> <tr> <td colspan="2">कुल जम्मा</td> <td>६६८२९०१।८९</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | भौ.नै. र मिति | पेशकी लिने कर्मचारी । उपभोक्ता समिति | पेशकी रकम | कैफियत | गाउँपालिका चालुतर्फ: | | | | २३-२०७६।०६।१५ | सन्दिप उपाध्याय | ३२२०००। | व्यक्तिगत पेशकी | संघ सशर्त चालुतर्फ: | | | | १५७-२०७७।०३।३१ | निलहरी लामिछाने | ३८१०४४। | व्यक्तिगत पेशकी | गाउँपालिका पूँजीगततर्फ: | | | | ९५-२०७६।१२।५ | नेपाल विद्युत प्राधिकरण | ४९९९८५७।८९ | संस्थागत पेशकी | २२१-२०७७।०३।१६ | डि.एस निर्माण सेवा | ५३०००० | ठेकेदार पेशकी | जम्मा | | ५५२९८५७।८९ | | स्थानीय विकास सञ्चालनी | | | | ४-२०७७।०३।१६ | डि.एस निर्माण सेवा | ४५००००। | ठेकेदार पेशकी | कुल जम्मा | | ६६८२९०१।८९ | |
| भौ.नै. र मिति | पेशकी लिने कर्मचारी । उपभोक्ता समिति | पेशकी रकम | कैफियत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| गाउँपालिका चालुतर्फ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २३-२०७६।०६।१५ | सन्दिप उपाध्याय | ३२२०००। | व्यक्तिगत पेशकी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| संघ सशर्त चालुतर्फ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १५७-२०७७।०३।३१ | निलहरी लामिछाने | ३८१०४४। | व्यक्तिगत पेशकी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| गाउँपालिका पूँजीगततर्फ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९५-२०७६।१२।५ | नेपाल विद्युत प्राधिकरण | ४९९९८५७।८९ | संस्थागत पेशकी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २२१-२०७७।०३।१६ | डि.एस निर्माण सेवा | ५३०००० | ठेकेदार पेशकी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | ५५२९८५७।८९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| स्थानीय विकास सञ्चालनी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४-२०७७।०३।१६ | डि.एस निर्माण सेवा | ४५००००। | ठेकेदार पेशकी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कुल जम्मा | | ६६८२९०१।८९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

५४. अनुगमन तथा संपरीक्षण: स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८४ मा बेरजु फछ्यौट गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो ऐनको दफा ८४(२) (घ) मा बेरजु फछ्यौट गर्ने गराउने काम कर्तव्य प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । यो वर्षको लेखापरीक्षणको क्रममा बेरजु फछ्यौट गरी संपरीक्षणको लागि अनुरोध भई आएको निम्नानुसारको बेरजु संपरीक्षण गरिएको छ ।

| सि. नं. | आ.व. | बेरजु दफा नं. | बेरजुको संक्षिप्त व्यहोरा | फछ्यौटको आधार | | | | सम्परीक्षण |
|---------|--------|---------------|---|---------------|--------|--------|--------|------------|
| | | | | असुली | प्रमाण | नियमित | पेशकी | |
| १. | ०७५।७६ | ७२ | ई. राकेश कुमार शाह र स.ई सन्निव चौधरीको पारिश्रमिक कर | १७८७० | | | | १७८७० |
| २. | ०७५।७६ | ८७ | चण्डिका मा.वि चनौटे | ० | | | ३४०००० | ३४०००० |
| ३. | ०७५।७६ | ५७ | स्वास्थ्य संस्था सुदृढिकरण अनुदान (वडा नं १ र ४ को १/१ लाख) | ० | २००००० | | | २००००० |
| ४. | ०७५।७६ | ८२ | हेरेन्द्र सिंह भूमिहारको पा.कर | ४२७६ | | | | ४२७६ |
| ५. | ०७५।७६ | ४४.१ | घटी परिमाण असुली | ३१८१०२ | | | | ३१८१०२ |
| ६. | ०७४।७५ | ६१ | कम कर दाखिला | १९२८२४ | | | | १९२८२४ |
| ७. | ०७५।७६ | ६५ | भ्रमण आदेश नभएको | ० | १५२०० | | | १५२०० |

| | | | | | | | | |
|----|--------|----|------------------------|--------|--------|--|--------|---------|
| द. | ०७५।७६ | २२ | दुङ्गा गिटिमा कम असुली | ३९८२९ | | | | ३९८२९ |
| | जम्मा | | | ५७७१७६ | २१५२०० | | ३४०००० | ११२८१०१ |

अनुसूची १
रु हजारमा

| जिल्ला | कार्यालयको नाम | लेखापरीक्षण रकम | बेरुजु रकम | आयतर्फ | | | | | | व्यय तर्फ | | | | मौज्दात बाँकी |
|----------|-------------------|-----------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------|---------|----------|-----------|--------------|-----------|------------|---------------|
| | | | | गत वर्षको जिम्मेवारी | संघ तथा प्रदेश अनुदान | राजस्व बाँडफाँड | आन्तरिक आय | अन्य आय | जम्मा आय | चालु खर्च | पूँजीगत खर्च | अन्य खर्च | जम्मा खर्च | |
| सिन्धुली | फिक्कल गाउँपालिका | ८८८०४३ | १५२८४ | १३६४८ | २९७४६९ | ६३९३६ | ८७०२ | ९४२४४ | ४६३५५९ | २२३२९० | १३६९५९ | ६५०४३ | ४२४४९२ | ५२७०७ |

अनुसूची २
रु हजारमा

| जिल्ला | कार्यालयको नाम | प्रारम्भिक बेरुजु | | | प्रतिफियाबाट फर्काई | | | बाँकी बेरुजु | | | असुल | बाँकी बेरुजु | | | | | | फरक | | | |
|----------|-------------------|-------------------|------|-------|---------------------|------|------|--------------|------|-------|------|-------------------|-------------------------|---------------------|------------|-----------------|-------|-----|----------|------|-------|
| | | दफा संख्या | | रकम | दफा संख्या | | रकम | दफा संख्या | | रकम | | नियमित गर्नुपर्ने | | | पेशकी | | | | | | |
| | | सैद्धान्तिक | लगति | | सैद्धान्तिक | लगति | | सैद्धान्तिक | लगति | | | अनियमित | प्रमाण कागजात पेश नभएको | राजस्व लागत नसारेको | जिम्मेवारी | सोधभर्ना नलिएको | जम्मा | | कर्मचारी | अन्य | जम्मा |
| सिन्धुली | फिक्कल गाउँपालिका | ४७ | ३४ | २०८८६ | ० | ६ | ५६०२ | ४७ | २८ | १५२८४ | ३५४९ | २६०५ | २४५५ | | ० | ० | ५०६० | ७०३ | ५९८० | ६६८३ | ० |

अनुसूची ३
रु हजारमा

| जिल्ला | कार्यालयको नाम | गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु | समायोजन | सं.पको लागि अनुरोध भइ आएको रकम | सं.प.भएको रकम | सम्परीक्षण गर्न नमिलेको रकम | कारवाही गर्न बाँकी रकम | गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु रकम | संप बाट थप बेरुजु | यो वर्ष थप रकम | ५८ औँ प्रतिवेदनसम्मको बाँकी बेरुजु | ५८ औँ प्रतिवेदनसम्मको बाँकी बेरुजु मध्ये पेशकी |
|----------|-------------------|----------------------------|---------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|--|
| सिन्धुली | फिक्कल गाउँपालिका | ३३४९३ | ० | ११२८ | ११२८ | ० | ० | ३२३६५ | ० | १५२८४ | ४७६४९ | ९२८३ |